

रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-51, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित



09 जुलाई 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, निःशुल्क

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना

सौर ऊर्जा से रोशन होगा घर, बिजली बिल भी आधा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की कैबिनेट ने इस योजना में राज्य सरकार की ओर से 30 हजार रुपये तक अतिरिक्त अनुदान देने का निर्णय लिया है। सोलर रूफटॉप संयंत्र नेट मीटरिंग के जरिए ग्रिड से जुड़ता है, जिससे उपभोक्ता न केवल मुफ्त बिजली पा रहे हैं, अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी अर्जित कर रहे हैं। केंद्र सरकार से 30 हजार से 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी और राज्य सरकार से 15 से 30 हजार रुपये तक का अनुदान मिल रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए <https://pmsuryaghar.gov.in> वेबसाइट या पीएम सूर्यघर एप पर पंजीयन किया जा सकता है।



साय सरकार का सुशासन

बस्तर में बदल रही है स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर

राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के तहत अब तक 130 स्वास्थ्य संस्थानों को गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त हो चुका है। नक्सल प्रभावित जिलों कांकेर, बीजापुर, सुकमा व दंतवाड़ा में भी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों की पहुंच में हैं। आयुष्मान योजना के तहत 36,231 कार्ड पंजीकृत हुए, जिनमें 6,816 हितग्राहियों को 8.22 करोड़ रु. का उपचार मिला। डेढ़ साल में 33 मेडिकल स्पेशलिस्ट, 117 मेडिकल ऑफिसर और 1 डेंटल सर्जन की नियुक्ति की गई है। बस्तर में हो रहे इन सुधारों से सुशासन और समर्पण से दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं सशक्त की जा सकती हैं।



विष्णु का विज्ञान

निवेश, नवाचार और नव उद्यमियों को प्रोत्साहन

रायपुर में आयोजित डॉ. आंबेडकर बिजनेस कॉन्क्लेव में प्रदेश में अब तक 5.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री ने डिक्की द्वारा आयोजित कार्यक्रम को एससी-एसटी नव उद्यमियों के लिए सशक्त मंच बताते हुए कहा कि अकेले पावर सेक्टर में 3 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। रायपुर में एआई डाटा सेंटर और सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना हो रही है। कार्यक्रम में 800 से अधिक नव उद्यमियों ने भाग लिया। डिक्की के चेयरमैन पद्मश्री डॉ. मिलिंद कांबले ने 360 डिग्री अप्रोच की जरूरत पर जोर दिया।



मंत्रिपरिषद के निर्णय

किसानों, कर्मचारियों, युवाओं के हित में ऐतिहासिक निर्णय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों, उद्यमियों और युवाओं के हित में कई दूरगामी और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। इन निर्णयों से राज्य की अर्थव्यवस्था, कृषि, लॉजिस्टिक्स, रोजगार और प्रशासनिक प्रणाली को नया बल मिलने की उम्मीद है।

धान छोड़ वैकल्पिक फसलें अपनाने वालों को भी मिलेगा लाभ

बैठक में किसानों के लिए एक बड़ा निर्णय लेते हुए 'कृषक उन्नति योजना' के प्रावधानों में संशोधन किया गया। अब यह योजना केवल धान उत्पादक किसानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दलहन, तिलहन, मक्का जैसी वैकल्पिक फसलें उगाने वाले पंजीकृत किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा।

राजकोषीय स्थिरता के लिए 'ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड'

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभावित संकटों से बचाने के लिए मंत्रिपरिषद ने 'छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड' के गठन की स्वीकृति दी। यह फंड राज्य के राजस्व में असामान्य उतार-चढ़ाव तथा आर्थिक मंदी की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा कवच का काम करेगा।

छत्तीसगढ़ बनेगा लॉजिस्टिक्स हब - नई नीति को मंजूरी

राज्य को लॉजिस्टिक्स और निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने 'छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025' को मंजूरी दी है। इस नीति से राज्य को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे उद्योगों, व्यापारियों और किसानों को बेहतर और सस्ती भंडारण सुविधाएं मिलेंगी।

शेष पेज 3 पर

स्रोत : <https://dprcg.gov.in/>

बिलासपुर में बनेगी 100 करोड़ की एजुकेशन सिटी

13 एकड़ भूमि पर होगा आधुनिक शैक्षणिक परिसर का निर्माण, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर आधुनिक अध्ययन परिसर होगा निर्माण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरकार द्वारा बिलासपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है, जो न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बनेगी। इस परियोजना के लिए नगर पालिक निगम की लगभग 13 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है, जहां बहुउद्देशीय शैक्षणिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह एजुकेशन सिटी नालंदा परिसर की तर्ज पर विकसित की जाएगी, जहां विद्यार्थी डिजिटल और फिजिकल दोनों माध्यमों से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बिलासपुर में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, दो राज्य विश्वविद्यालय, आठ महाविद्यालय, लोक सेवा आयोग, व्यापम और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले लगभग 100 कोचिंग संस्थान कार्यरत हैं। इनमें 50,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। साथ ही बिलासपुर एसईसीएल मुख्यालय और रेलवे डीआरएम कार्यालय जैसे प्रतिष्ठानों के कारण भी एक सक्रिय बौद्धिक वातावरण बना हुआ है।



एक साथ 4,800 विद्यार्थी करेंगे कोचिंग

एजुकेशन सिटी में नालंदा परिसर की अवधारणा के तहत एक ऐसा अध्ययन केंद्र विकसित किया जाएगा, जिसमें 500 विद्यार्थी एक साथ बैठकर पुस्तकालय का उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा यहां तीन बहुमंजिला इमारतें बनाई जाएंगी, जिनमें कुल 48 सेटअप होंगे। प्रत्येक सेटअप में एक हॉल, दो कक्ष और एक टॉयलेट होगा। इस व्यवस्था के तहत एक समय में 4,800 छात्र-छात्राएं कोचिंग क्लास अटेंड कर सकेंगे।

छात्रों के सर्वांगीण विकास पर फोकस

एजुकेशन सिटी में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए 700 सीटों की क्षमता वाला एक आधुनिक ऑडिटोरियम भी तैयार किया जाएगा। वहीं, बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,000 बिस्तरों वाले छात्रावास की सुविधा होगी। खेल और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहां एस्ट्रोटेर्फ युक्त खेल मैदान और ग्रीन जोन युक्त गार्डन भी विकसित किए जाएंगे। वाहन पार्किंग की परेशानी से बचने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी।

एक और गारंटी पूरी

तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए पुनः प्रारंभ हुई 'चरण पादुका योजना'

मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को पहनाई चरण पादुका, स्वाभिमान और सुरक्षा का प्रतीक बनी योजना

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक और गारंटी को धरातल पर उतारते हुए 'चरण पादुका योजना' का पुनः शुभारंभ किया। दुर्ग जिले के जामगांव में आयोजित गरिमाय समारोह में मुख्यमंत्री श्री साय ने महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों को स्वयं चरण पादुका पहनाकर इस योजना की शुरुआत की। "चरण पादुका योजना उन परिश्रमी हाथों और कदमों के प्रति हमारी कृतज्ञता है।



12.4 लाख संग्राहकों को लाभ

राज्य के 12 लाख 40 हजार से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका योजना का सीधा लाभ मिलेगा। यह योजना विशेष रूप से आदिवासी और वनांचल क्षेत्रों में वनोपज संग्रहण में लगे महिलाओं और पुरुषों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

पारिश्रमिक दर में 1500 रु. की वृद्धि

राज्य सरकार ने संग्राहकों के हित में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। तेंदूपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक दर को 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। इस फैसले से संग्राहकों को बीते वर्षों की तुलना में अधिक आमदनी होगी और उनकी आर्थिक स्तर सशक्त होगा।

मोदी की गारंटी साय सरकार की प्रतिबद्धता

चरण पादुका योजना "मोदी की गारंटी" संकल्प पत्र का एक अहम वादा था, यह योजना केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कैसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सुविधा पहुंचा सकती है।

रिक्लूटमेंट नोटिस

AIIMS

पद: फैकल्टी
पद संख्या: 64
अंतिम तिथि: 15 जुलाई
aiimsguwahati.ac.in

यूपीएससी

पद: साइंटिफिक ऑफिसर
पद संख्या: 241
अंतिम तिथि: 17 जुलाई
<https://upsc.gov.in/>

जेएसएससी

पद: सेकंडरी टीचर
पद संख्या: 1373
अंतिम तिथि: 17 जुलाई
<https://jssc.jharkhand.gov.in/>

राजस्थान कर्मचारी बोर्ड

पद: ग्राम विकास अधिकारी
पद संख्या: 850
अंतिम तिथि: 18 जुलाई
rssb.rajasthan.gov.in

SGPGI

पद: नर्सिंग ऑफिसर सहित अन्य
पद संख्या: 1479
अंतिम तिथि: 18 जुलाई
sgpgims.org.in

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग

पद: असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक््यूटर
पद संख्या: 134
अंतिम तिथि: 21 जुलाई
ssc.jharkhand.gov.in

सीजी अग्निशमन विभाग

पद: ड्राइवर सहित अन्य
पद संख्या: 295
अंतिम तिथि: 31 जुलाई
ceghged.gov.in



रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक

डॉ. रवि मितल

संपादक

जवाहर लाल दरियो

सहायक संपादक

गीतांजलि नेताम

संपादकीय

संदीप सिन्हा

ऑफिस डिजाइन-इलेस्ट्रेशन

धनेश कुमार दिवाकर

डाटा एंट्री ऑपरेटर

अंजुलानी, राकेश साहू

वितरण व्यवस्था

विकांत ताम्रकार

- कार्यालय पता -

छत्तीसगढ़ संवाद

(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,

अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)

फोन-0771-2512582, 2512583

ईमेल पता

rojgarauroniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक



मुख्यमंत्री जशपुर जिले के कांसाबेल के बगिया हाईस्कूल में नन्हें बच्चों के बीच बैठकर स्मार्ट क्लास-रूम से रू-ब-रू हुए

छत्तीसगढ़ बनेगा हर्बल हब

वनवासियों के परिश्रम से बनेगी विश्वस्तरीय औषधि

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया आयुर्वेदिक प्रसंस्करण इकाई का लोकार्पण

छत्तीसगढ़ अब सिर्फ वनों की भूमि नहीं, बल्कि आयुर्वेद की वैश्विक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा अंतर्गत ग्राम जामगांव (एम) में निर्मित आधुनिक आयुर्वेदिक प्रसंस्करण इकाई और केन्द्रीय भंडारण गृह परिसर का लोकार्पण कर इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा - “छत्तीसगढ़ के जंगलों में छिपा है हमारी सेहत का खजाना। अब यह खजाना सिर्फ जंगलों में सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। यह इकाई केवल संयंत्र नहीं, बल्कि वनवासियों के जीवन में आशा की एक नई किरण है।”

सबसे बड़ी आयुर्वेदिक इकाई

जंगलों की गोद में, 27.87 एकड़ भूमि पर फैली यह इकाई मध्य भारत की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक प्रसंस्करण इकाई है। यहां सालाना 50 करोड़ रुपये मूल्य के हर्बल उत्पाद- चूर्ण, सिरप, तेल, टैबलेट आदि तैयार किए जाएंगे। इस परियोजना से लगभग



2,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। विशेष बात यह है कि इसमें महिलाओं और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिससे स्थानीय समुदाय को सशक्त आजीविका का साधन मिलेगा।

‘फॉरेस्ट टू फार्मसी’ मॉडल की मिसाल

राज्य सरकार की यह परियोजना छत्तीसगढ़ की समृद्ध लघु वनोपज और औषधीय वनस्पतियों- जैसे महुआ, साल बीज, कालमेघ, गिलोय, अश्वगंधा आदि को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर आयुर्वेदिक उत्पादों में बदलने की एक संगठित पहल है। ये उत्पाद अब ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ ब्रांड के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाएंगे।

NPCIL में ट्रेड अप्रेंटिस के 337 पदों पर भर्ती, आवेदन 11 जुलाई तक

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आईटीआई पास अभ्यर्थियों के लिए ट्रेड अप्रेंटिस के 337 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2025 है। चयन प्रक्रिया में कोई परीक्षा या साक्षात्कार नहीं होगा; चयन केवल आईटीआई अंकों और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। एक वर्षीय आईटीआई को 7,700 रुपये और दो वर्षीय को 8,050 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। आवेदन npcilcareers.co.in पर करना होगा।

हैवी व्हीकल फैक्ट्री में 1850 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती

आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के अंतर्गत हैवी व्हीकल फैक्ट्री में जूनियर टेक्नीशियन के 1850 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2025 है। अभ्यर्थियों के लिए 10वीं के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई और 2 वर्षों का अनुभव अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया आईटीआई अंकों और ट्रेड टेस्ट के आधार पर होगी। आवेदन oftr.formflix.org पर ऑनलाइन किया जा सकता है।

दीर्घकालिक भंडारण की व्यवस्था

परियोजना परिसर में 20,000 मीट्रिक टन क्षमता वाला वेयरहाउस विकसित किया गया है, जिसमें वनोपजों का संरक्षण वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। इससे मौसमी निर्भरता खत्म होगी और पूरे साल गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध रहेगी। इस इकाई में स्प्रेयर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर शुरू की गई है, जो अत्याधुनिक तकनीक से हर्बल अर्क तैयार करेगी।

समावेशी विकास की नई मिसाल

■ महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार, पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण में प्राथमिकता।

■ युवाओं को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ही उन्हें मिलेगा रोजगार।

■ वनवासियों को वनोपज का उचित मूल्य, सीधा फायदा उन्हें मिलेगा।

■ आयुर्वेदिक चिकित्सा को मिलेगा नया विस्तार, घरेलू और वैश्विक बाजार में।

रेलवे में 6238 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती, आवेदन 28 जुलाई तक

रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन ग्रेड-1 और ग्रेड-3 के कुल 6238 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 28 जून से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 28 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। ग्रेड-1 के लिए बीई, बीटेक, बीएससी या डिप्लोमा, और ग्रेड-3 के लिए 10वीं के साथ आईटीआई अनिवार्य है। आवेदन rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।

भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु भर्ती, आवेदन 31 जुलाई तक

भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी की है। कुल 2500 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 से 31 जुलाई 2025 तक किए जा सकेंगे। लिखित परीक्षा 25 सितंबर को आयोजित होगी। चयनित अभ्यर्थियों की सेवा अवधि 4 वर्ष की होगी। सेवा निधि योजना के अंतर्गत उन्हें लगभग 10.08 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल agnipathvayu.cdac.in पर आवेदन कर सकते हैं।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 541 पदों पर भर्ती, आवेदन 14 जुलाई तक

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के 541 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 14 जुलाई 2025 है। आवेदक की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ग्रेजुएट्स और अंतिम वर्ष के छात्र आवेदन के पात्र हैं। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हैं। मासिक वेतन 48,480 रुपये तथा अन्य भत्ते मिलेंगे। आवेदन sbi.co.in पर किया जा सकता है।

एमएससी बायोटेक्नॉलॉजी कोर्स के लिए 21 तक फॉर्म

राजधानी स्थित मेडिकल कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री विभाग में संचालित एमएससी मेडिकल बायोटेक्नॉलॉजी कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब छात्र 21 जुलाई तक इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए छात्र रायपुर मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट ptjnmcrapur.in का अवलोकन कर सकते हैं।

SSC CHSL: 3131 पदों पर भर्ती, आवेदन 18 जुलाई तक

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 12वीं पास युवाओं के लिए सीएचएसएल भर्ती 2025 का विज्ञापन जारी किया है। कुल 3131 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ssc.gov.in पर शुरू हो गई है। अंतिम तिथि 18 जुलाई 2025 है। एलडीसी, जेएसए और डीईओ पदों के लिए वेतन 19,900 रुपये से 92,300 रुपये तक मिलेगा। चयन प्रक्रिया टियर-1, टियर-2 और स्क्रिल टेस्ट के माध्यम से होगी।

राजस्थान हाईकोर्ट में 5728 पदों पर भर्ती, आवेदन 26 जुलाई तक

राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर के कुल 5728 पदों पर भर्ती निकाली है। अभ्यर्थी 26 जुलाई 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट hcray.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी के लिए 10वीं और ड्राइवर के लिए 12वीं पास तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन शामिल हैं। वेतनमान 17,700 रुपये से 65,900 रुपये तक निर्धारित है।



छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री ने किया मंत्रालय के पंचम तल में नवीन सभागार का लोकार्पण



मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन के सेक्रेटरी ब्लॉक के पंचम तल पर निर्मित नवीन सभागार का लोकार्पण किया। 13.90 करोड़ रुपये की कुल लागत से निर्मित यह भव्य सभागार सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। 6450 वर्गफुट क्षेत्र में बने इस कॉन्फ्रेंस हॉल की बैठक क्षमता 185 सीटों की है। सभागार आंतरिक विद्युतीकरण, अग्निशमन व्यवस्था, वातानुकूलन, ऑडियो-विजुअल प्रणाली, आंतरिक साज-सज्जा तथा फर्नीचर सहित सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित है।

एग्री-हॉर्टी एक्सपो एवं क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का वर्चुअल शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले में बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैप कार्यालय से कृषि क्रांति अभियान के अंतर्गत एग्री-हॉर्टी एक्सपो एवं क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का वर्चुअल शुभारंभ किया। जिला पंचायत परिसर में दो दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में देश की कई प्रमुख कृषि कंपनियां जैसे-जियो मार्ट रिटेल, देहात, हॉनेस्ट फॉर्म, आत्माकुर, धरागरी, अवनी आयुर्वेदा इत्यादि उपस्थित रहेंगी। इन कंपनियों के माध्यम से जिले के किसान एफपीओ के जरिए अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु फसल विक्रय अनुबंध कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ में अनुकूल औद्योगिक माहौल, एससी-एसटी उद्यमियों को नई उड़ान

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योग-धंधों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। रायपुर में डॉ. आंबेडकर बिजनेस कॉन्क्लेव में उन्होंने बताया कि अब तक 5.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। पावर सेक्टर में 3 लाख करोड़ से अधिक निवेश हुआ है। 800 से अधिक उद्यमियों ने सम्मेलन में

भाग लिया। श्री साय ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य हेतु उद्यमिता को बढ़ावा देना अनिवार्य है।

159 आंगनबाड़ी केंद्र, 70 लाख महिलाओं को 10,431 करोड़ की सहायता

छत्तीसगढ़ सरकार महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। नक्सल प्रभावित बीजापुर, सुकमा, कांकेर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिलों में नियद नेल्लानार योजना के तहत 159 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। वहीं, महतारी वंदन योजना के माध्यम से मार्च 2024 से जून 2025 तक 70 लाख महिलाओं को 10,431 करोड़ की राशि सीधे खातों में ट्रांसफर की गई। यह प्रयास महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं पहुंचाने की दिशा में मिसाल बन गया है।

छत्तीसगढ़ बना निवेशकों का पसंदीदा राज्य, सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 'छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग-2' में वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि अब तक 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 20 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। लॉजिस्टिक नीति और जन विश्वास विधेयक से व्यापार आसान होगा। नवा रायपुर को 'सिलिकॉन वैली ऑफ छत्तीसगढ़' बनाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य उद्योगों के लिए बाधारहित और पारदर्शी व्यवस्था देना है।

कारीगरों की समृद्धि प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ग्रामोद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कारीगरों को रोजगार, प्रशिक्षण, विपणन और तकनीक के माध्यम से सशक्त किया जाएगा। रेशम, खादी, माटीकला और हथकरघा में असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने यूनैटी मॉल के समय पर निर्माण और गुणवत्तापूर्ण ब्रांडिंग पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन बिक्री और निर्यात को बढ़ावा देने की बात कही और कहा कि कारीगरों की आय बढ़ाना और पारंपरिक कला को नया बाजार दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। स्थायी रोजगार के लिए समन्वित कार्ययोजना के निर्देश दिए।

स्रोत : <https://dprcg.gov.in/>

पेज 1 का शेष: किसानों, कर्मचारियों और युवाओं के हित में ऐतिहासिक निर्णय

'जन विश्वास विधेयक' को मिली मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने राज्य के कुछ पुराने कानूनों को आधुनिक बनाने और जीवन-व्यवसाय को सरल बनाने के लिए 'छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025' को मंजूरी दी। यह विधेयक कानूनों के गैर-अपराधीकरण की दिशा में एक बड़ी पहल है। इससे अनावश्यक न्यायालयीन प्रकरणों में कमी आएगी और आम नागरिकों एवं व्यवसायियों को राहत मिलेगी।

पुरानी शासकीय संपत्तियों का होगा पुनर्विकास

राज्य के विभिन्न शहरों में स्थित जर्जर और अनुपयोगी भवनों तथा शासकीय भूमि का पुनर्विकास करने के लिए 7 परियोजनाओं को कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। इनमें रायपुर के शांतिनगर और बीटीआई शंकर नगर, राजनांदगांव का कैलाश नगर, जगदलपुर का चांदनी चौक फेस-2, कांकेर का सिविल लाइन, महासमुंद का क्लबपारा और कोरबा का कटघोरा शामिल हैं।

राष्ट्रीय

भारत अग्नि-5 बंकर बस्टर मिसाइल बना रहा, 100 मीटर गहराई तक वार करने में सक्षम



वैश्विक संघर्षों से सबक लेते हुए भारत ने भविष्य के युद्धों के लिए बंकर बस्टर बम बनाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत ऐसी शक्तिशाली मिसाइल प्रणाली पर काम कर रहा है, जिसमें अग्नि-5 पर लगा मुख्वास्त्र (वारहेड) पाताल में भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम होगा। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र पर हमला किया, तब बंकर बस्टर बम दुनियाभर में सुर्खियों में आ गया। हालांकि, भारतीय मिसाइल प्रणाली अमेरिका के बी-2 बमवर्षक से अधिक सटीक हमला करने में सक्षम होगी, क्योंकि अग्नि-5 मिसाइल बेहतर ढंग से लक्ष्य पर निशाना साधती है।

पांचवीं में एआई, गगनयान व इसरो के बारे में पढ़ेंगे बच्चे

एनसीईआरटी की पांचवीं कक्षा की हिंदी पुस्तक 'वीणा' में बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), गगनयान, पैरालंपिक, गंगा नदी, पंचतंत्र, राजा विक्रमादित्य से लेकर राजा भोज तक की कहानियाँ पढ़ेंगे। एआई, गगनयान और इसरो जैसे विषयों से वे आधुनिक भारत से रूबरू होंगे। वहीं, 2,500 साल पुरानी पंचतंत्र की कहानियों, राजा विक्रमादित्य व राजा भोज से वे नैतिक शिक्षा, व्यावहारिक ज्ञान, संवेदनशीलता, बुद्धिमत्ता और नैतिकता जैसे गुणों का विकास करेंगे। इसी सत्र, यानी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सीबीएसई समेत विभिन्न राज्य शिक्षा बोर्डों की कक्षा 5 में हिंदी की नई पाठ्यपुस्तक 'वीणा' से पढ़ाई होगी।

भारत में जीरो-डोज वाले बच्चों में आई कमी

जीवनभर आपको कई प्रकार की गंभीर और संक्रामक बीमारियों के खतरे से बचाए रखने में बचपन के टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सरकार के सक्रिय और समावेशी दृष्टिकोण के चलते 'जीरो-डोज' बच्चों की दर में कमी आई है। देश की कुल आबादी में जीरो-डोज वाले बच्चों का प्रतिशत 2023 में 0.11% से घटकर 2024 में 0.06% हो गया है, जो बाल स्वास्थ्य की दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

सीबीडीटी चेयरमैन अग्रवाल का कार्यकाल 1 साल बढ़ा

सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। अब वे 30 जून 2026 तक पद पर रहेंगे। 1988 बैच के आईआरएस अधिकारी अग्रवाल 30 जून को रिटायर होने वाले थे।

सामाजिक सुरक्षा का लाभ 95 करोड़ लोगों को: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में 95 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं। 2015 में यह आंकड़ा 25 करोड़ था। रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीएम ने कहा, देश में 64% आबादी किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ले रही है।

केरल 2020-2025 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर

केरल को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas - PAs) के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (Management Effectiveness Evaluation - MEE) 2020-2025 चक्र में भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। यह मूल्यांकन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया। केरल को 76.22% स्कोर प्राप्त हुआ और यह एकमात्र राज्य है जिसे "बहुत अच्छा" (Very Good) रेटिंग प्राप्त हुई है।

भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी

भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यूएन इंटर-एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टैलिटी एस्टीमेशन (UN IGME) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि वैश्विक औसत (61%) से कहीं अधिक है। साथ ही, नवजात मृत्यु दर (Neonatal Mortality Rate) में भी 70% की कमी देखी गई है।

प्रवासी भारतीयों ने रिकॉर्ड 11.6 लाख करोड़ भारत भेजे, एफडीआई से भी ज्यादा

विदेशों में रह रहे भारतीयों ने कमाल कर दिया है। 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2024-25 में उन्होंने 135.46 अरब डॉलर (11.6 लाख करोड़) भारत में रह रहे अपने परिवारों को भेजे। यह किसी एक वर्ष में प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। इसमें सालाना 141% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह 8 साल पहले, वित्त वर्ष 2016-17 में भेजे गए 61 अरब डॉलर से दोगुना से भी ज्यादा है। भारत पिछले 10 वर्षों से लगातार दुनिया का सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, वर्ष 2024 में मेक्सिको ने 5.8 लाख करोड़ के रेमिटेंस के साथ दूसरा स्थान और चीन ने 4.1 लाख करोड़ के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 'धर्म चक्रवर्ती' की उपाधि

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह में 'धर्म चक्रवर्ती' की उपाधि से सम्मानित किया गया। पीएम ने इस अवसर पर कहा, भारत दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है, हमारा देश हजारों वर्षों से अमर है, क्योंकि इसके विचार व दर्शन अमर हैं। मोदी ने कहा कि भारत की सेवा भावना किसी शर्त के अधीन नहीं है। यह स्वार्थ से परे है और निस्वार्थ भावना से प्रेरित है।

घाना में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अब तक 24 देशों ने किया सम्मानित

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती साख और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक कुशलता ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसका ताजा उदाहरण जुलाई में घाना की राजधानी अक्रा में देखने को मिला, जहां पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना' से नवाजा गया। पीएम मोदी को अब तक 24 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं, जो किसी भी भारतीय नेता के लिए रिकॉर्ड है। इनमें रूस का 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू', यूएई का 'जायद मेडल', फ्रांस का 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर', मालदीव का 'रूल ऑफ इज्जुद्दीन' और नाइजीरिया, साइप्रस, फिजी जैसे देशों के प्रतिष्ठित पुरस्कार शामिल हैं।



अंतरराष्ट्रीय

आईपीएस पराग जैन बने RAW प्रमुख कार्यकाल रहेगा दो वर्ष का



पंजाब कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और ऑपरेशन सिंदूर के रणनीतिकारों में शामिल पराग जैन को भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। वह 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे RAW प्रमुख रवि सिन्हा का स्थान लेंगे। पराग जैन पूर्व में RAW की पाकिस्तान डेस्क का नेतृत्व कर चुके हैं और पड़ोसी देशों के मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने पंजाब में आतंकवाद के खात्मे और अनुच्छेद 370 हटाने के दौरान खुफिया रणनीतियों में अहम भूमिका निभाई थी। उनका कार्यकाल दो वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है।

ईरान IAEA का सहयोग निलंबित

ईरान की संसद ने एक बिल पारित किया। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ संबंध तोड़ने और सहयोग निलंबित करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम को लागू करने के लिए ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की भी अंतिम मंजूरी जरूरी है। यह कदम तब उठाया गया है, जब ईरान इजरायल के साथ 12 दिनों की जंग लड़ चुका है।

ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स 2025: बिलियन डॉलर स्टार्टअप वाले शीर्ष 10 देश

हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित हुरुन ग्लोबल यूनिफॉर्म इंडेक्स 2025 वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। इस वर्ष 1 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के निजी स्वामित्व वाले स्टार्टअप की कुल संख्या - जिन्हें यूनिफॉर्म कहा जाता है- रिकॉर्ड 1,523 तक पहुंच गई है। सामूहिक रूप से, 5.6 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की ये कंपनियां वैश्विक नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। 2019 से अब तक, यूनिफॉर्म वाले देशों की संख्या में 120% की वृद्धि दर्ज की गई है, और अब यह संख्या कुल 52 राष्ट्रों तक पहुंच गई है। इसी तरह, यूनिफॉर्म स्टार्टअप्स अब 307 शहरों में फैले हुए हैं, जो भौगोलिक विविधता में 160% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। यह आंकड़े पारंपरिक टेक हब्स से परे स्टार्टअप इकोसिस्टम की बढ़ती पहुंच और प्रसार को रेखांकित करते हैं।

सलखन जीवाश्म पार्क यूनेस्को सूची में

यूपी के सोनभद्र जीवाश्म पार्क, जिसे सलखन जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया। यह उत्तर प्रदेश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और राज्य की भूवैज्ञानिक और जीवाश्मकी अपील को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने की दिशा में एक कदम है। कैमूर रेंज में 25 हेक्टेयर में फैला यह पार्क सोनभद्र जिले के सलखन गांव में स्थित है, जो रॉबर्ट्सगंज के करीब है। यहां 1.4 अरब साल पुराने जीवाश्म पाए जा सकते हैं।

चीन: नाक के संक्रमण का इलाज करेंगे बाल से भी छोटे रोबोट

चीन व हांगकांग के वैज्ञानिकों ने ऐसे बेहद छोटे रोबोट तैयार किए हैं, जो नाक के अंदर जाकर संक्रमण को खत्म कर सकते हैं। ये माइक्रो-रोबोट इंसानी बाल से भी कई गुना पतले हैं और इन्हें नाक के रास्ते साइनस कैविटी में डाला जाता है। इन रोबोट्स को चुंबकीय फील्ड की मदद से उस जगह तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद कैमिकल रिएक्शन से बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं।

भारतीय मूल के प्रोफेसर ईशान चट्टोपाध्याय को मिला गोडेल पुरस्कार

भारतीय मूल के प्रोफेसर ईशान चट्टोपाध्याय और डेविड जुकरमैन को कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए प्रतिष्ठित गोडेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उनके शोध पत्र “Explicit Two-Source Extractors and Resilient Functions” में यह स्पष्ट किया गया है कि दो कमजोर यादृच्छिक स्रोतों को कैसे सुरक्षित और विश्वसनीय स्रोत में बदला जा सकता है। यह तकनीक सुरक्षित कंप्यूटर सिस्टम के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। गोडेल पुरस्कार, सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।

रेमिटेंस टैक्स 1% हुआ, भारतीयों को बड़ी राहत

अमेरिकी संसद ने ‘द बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ के ताजा ड्राफ्ट में रेमिटेंस टैक्स घटाकर 1% कर दिया है। पहले यह टैक्स 5% प्रस्तावित था, जिसे बाद में संसद के अंतिम ड्राफ्ट में 3.5% किया गया था। यह बदलाव उन भारतीय प्रवासियों के लिए राहत की बात है, जो अमेरिका से भारत में परिवारों को सहायता भेजते हैं या निवेश करते हैं। पहले इस बिल को लेकर अमेरिका में बसे करीब 29 लाख भारतीयों में भारी चिंता देखी गई थी, क्योंकि टैक्स बढ़ने से रेमिटेंस महंगा हो सकता था।

एशिया में तापमान वैश्विक औसत से दोगुना बढ़ रहा है: WMO रिपोर्ट

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की ‘एशिया में जलवायु की स्थिति 2024’ रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2024 एशिया में अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा, जिसमें व्यापक और लंबे समय तक चलने वाली हीटवेव दर्ज की गई। 2024 की हीटवेव ने समुद्र के रिकॉर्ड क्षेत्र को प्रभावित किया। WMO द्वारा वैश्विक औसत तापमान की निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी छह डेटासेट्स के अनुसार, 2024 में वैश्विक औसत तापमान 1850-2024 की अवधि में रिकॉर्ड पर सबसे अधिक रहा, जिसने 2023 में स्थापित 1.45 डिग्री सेल्सियस के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। WMO की महासचिव सेलेस्टे साउलो ने कहा कि 2015 से 2024 तक का प्रत्येक वर्ष अब तक के 10 सबसे गर्म वर्षों में शामिल रहा है।

जून के अखिरी दिन यूरोप के 6 देशों में रिकॉर्ड गर्मी

हीटवेव के चलते 30 जून को यूरोप के छह देशों- स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, ग्रीस और तुर्किये - में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्पेन के एल अनाडो में पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने 1965 में बने 45.2 डिग्री सेल्सियस के जून तापमान रिकॉर्ड को तोड़ दिया और राष्ट्रीय जून रिकॉर्ड बना। पुर्तगाल के मोरा में 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। फ्रांस में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा और कई स्थानों पर जून के पुराने रिकॉर्ड टूटे। इटली के 27 में से 21 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया और पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

खेल / कला

बैडमिंटन का नया सितारा: 6 फीट 4 इंच लंबे 20 वर्षीय आयुष ने यूएस ओपन जीता



भारत के 20 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेटी यूएस ओपन में पुरुष सिंगल्स चैंपियन बने। 6 फीट 4 इंच लंबे वर्ल्ड नंबर-31 आयुष ने फाइनल में कनाडा के ब्रायन यांग को 21-18, 21-13 से हराया। उन्होंने केवल 47 मिनट में यह जीत दर्ज की। यह भारत के लिए बैडमिंटन में इस वर्ष का पहला वर्ल्ड टूर खिताब है। यह आयुष के करियर का पहला सीनियर टाइटल भी है। उन्होंने टूर्नामेंट में खुद से बेहतर रैंकिंग वाले कई खिलाड़ियों को हराया और अब करियर की सर्वश्रेष्ठ 31वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं।

राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल के 10 मीटर पिस्टल में सुरुचि-सौरभ विजेता

सुरुचि इंदर सिंह ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए राष्ट्रीय निशानेबाजी चयन ट्रायल ‘टी-4’ के 10 मीटर पिस्टल महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं ओलंपियन सौरभ चौधरी पुरुष वर्ग में शीर्ष पर रहे। त्रिशूल निशानेबाजी परिसर में ग्रुप-ए के क्वालिफिकेशन दौर में सुरुचि और सौरभ ने क्रमशः 588 और 587 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। फाइनल में सुरुचि ने शुरू से ही दबदबा बनाए रखा और 244.3 का स्कोर बनाकर पहला स्थान प्राप्त किया, जो दूसरे स्थान पर रहीं अंजलि शेखावत से 3.1 अंक अधिक था। अनुभवी राही सरनोबत ने 221.6 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। ओलंपियन मनु भाकर और ईशा सिंह ने क्रमशः 202.5 और 179.6 अंकों के साथ चौथे और पांचवें स्थान पर स्थान प्राप्त किया।

नॉरिस बने चैंपियन, इस सीजन की तीसरी रेस जीती

मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्री फॉर्मूला वन रेस में अपने टीम साथी ऑस्कर पियारस्त्री को पीछे छोड़ते हुए ट्रॉफी जीत ली। यह इस साल नॉरिस की तीसरी खिताबी जीत है। इसके अलावा, यह लगातार दूसरा साल है जब उन्होंने तीन रेस अपने नाम की हैं। इस बीच, रेड बुल के मैक्स वर्स्टापेन मसिंडीज के किमी एंटोनेली से टकरा जाने के कारण पहले ही लैप में बाहर हो गए।

एशियाई स्ववाश युगल चैंपियनशिप में भारत का दबदबा, तीनों खिताब जीते

भारत ने दूसरी एशियाई स्ववाश युगल चैंपियनशिप में पुरुष, महिला और मिश्रित तीनों वर्गों में खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुष युगल में अभय सिंह और वेलावन सेंथिलकुमार ने पाकिस्तान को हराया, जबकि महिला युगल में जोशना चिनप्पा और अनाहत सिंह ने मलेशिया को मात दी। मिश्रित युगल में अभय और अनाहत की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जीत दर्ज की।

ICC ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नए नियमों का किया एलान, टेस्ट मैचों में स्टॉप क्लॉक लागू

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने धीमी ओवर गति की समस्या से निपटने के लिए टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू करने की घोषणा की है। यह नियम 2025-2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र से प्रभावी होगा।

आईसीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित ‘टेस्ट मैच खेलने की परिस्थितियों’ के अनुसार, अब टेस्ट क्रिकेट में भी सीमित ओवरों की तरह स्टॉप क्लॉक का उपयोग किया जाएगा, ताकि ओवर की गति बनी रहे और खेल समय पर पूरा हो। इसके अलावा, अगर बल्लेबाज जानबूझकर पूरा रन नहीं लेते, तो यह फील्डिंग करने वाली टीम को तय करने का अधिकार होगा कि अगली गेंद का सामना कौन-सा बल्लेबाज करेगा। डब्ल्यूटीसी 2025-2027 चक्र की शुरुआत श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच गाले में खेले गए पहले टेस्ट मैच से हो चुकी है, और उसी के साथ ये नए नियम भी प्रभाव में आ गए हैं।

एथलेटिक्स चैंपियनशिप: रायपुर की नबोनीता ने 100-200 मीटर में जीते गोल्ड

21वीं छत्तीसगढ़ स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दुर्ग जिला ओवरऑल चैंपियन रहा, जबकि रायपुर की टीम रनर-अप और धमतरी की टीम सेकंड रनर-अप रही। बिलासपुर के वाई. बालवर्द्धन राव ने 100 मीटर दौड़ 10.93 सेकंड में पूरी कर पहला स्थान हासिल किया। वहीं दुर्ग के सुनील यादव ने 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में जीत दर्ज की। 400 मीटर दौड़ में बिलासपुर के प्रशांत कुमार सिंह पहले स्थान पर रहे। लड़कियों की 100 मीटर दौड़ में रायपुर की नबोनीता बेरा ने 14.16 सेकंड में दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 200 मीटर दौड़ में भी जीत दर्ज की, जिसमें उनका समय 28.58 सेकंड रहा। कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित इस चैंपियनशिप में प्रदेश के सभी जिलों से 300 से अधिक पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया।

प्रज्ञानानंद ने उजचेस कप मास्टर्स जीता, भारत के शीर्ष वरीय शतरंज खिलाड़ी बने

ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद ने 27 जून 2025 को ताशकंद में आयोजित उजचेस कप मास्टर्स 2025 जीतने के साथ ही लाइव रेटिंग में भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी का स्थान प्राप्त कर लिया है। इस शानदार जीत के बाद प्रज्ञानानंद की लाइव रेटिंग 2778.3 हो गई है, जिससे वह विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गए- तीन स्थान की छलांग के साथ - और उन्होंने अपने करियर की सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की। 19 वर्षीय खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन डी. गुकेश (2776.6) और अर्जुन एरिगैसी (2775.7) को पीछे छोड़ दिया।

हॉकी मास्टर्स कप 2025: ओडिशा ने महिला वर्ग का खिताब जीता

ओडिशा हॉकी एसोसिएशन और तमिलनाडु हॉकी यूनिट ने 27 जून को को महिला और पुरुष हॉकी मास्टर्स कप 2025 का पहला खिताब जीत लिया। चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में खेले गए पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में ओडिशा की महिला टीम ने पंजाब को हराया, जबकि तमिलनाडु ने महाराष्ट्र को हराया।

वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग का पहला संस्करण दुबई में

इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन से मान्यता प्राप्त वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग का पहला संस्करण अगले वर्ष फरवरी-मार्च में दुबई में आयोजित होगा। इस लीग में लगभग 30 देशों के भाग लेने की संभावना है। यह लीग फ्रेंचाइजी आधारित मॉडल पर आयोजित की जाएगी। पहले सीजन में कुल आठ टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें भारतीय खिलाड़ियों के साथ-साथ प्रतिभाशाली अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल होंगे। लीग की आठों फ्रेंचाइजियों के लिए कुल 48 करोड़ रुपये का प्लेयर पर्स निर्धारित किया गया है।

कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष

स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.)

क्रमांक 1843 /उत्कृष्ट अंग्रेजी मा. संविदा भर्ती/2025-26

जशपुर दिनांक :- 26/06/2025

:: संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन :-

छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के निर्देशानुसार जिला जशपुर में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा, जशपुर, पतराटोली, कुनकुरी, फरसाबहार, कांसाबेल, दोकड़ा, बगीचा, कोतवा, तपकरा एवं पत्थलगांव हेतु संविदा भर्ती विज्ञापन प्रकाशन कर शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय पदों पर नियुक्ति आदेश प्रदाय किया गया था, किन्तु शासन द्वारा आयोजित अन्य नियमित भर्ती परीक्षा में चयनित होने तथा अन्य कारणों से त्यागपत्र देने के उपरांत पद रिक्त हैं।

अतः कुल 11 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए स्वीकृत पद व्याख्याता, प्रधान पाठक/शिक्षक/सहायक शिक्षक, कम्प्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहा. ग्रेड-02,03, प्रयोगशाला सहायक एवं अन्य कार्यालयीन स्टाफ के संविदा पदों पर इच्छुक आवेदकों से विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 11.07.2025 को मध्यरात्रि 11:59 बजे तक केवल ऑनलाईन माध्यम से आवेदन जिले के वेबसाइट www.jashpur.nic.in में दिये गये निर्देशानुसार आमंत्रित किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। आवेदन केवल ऑनलाईन स्वीकार किये जाएंगे अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

-- विज्ञापित पदों का विवरण:-

1. स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोतवा, जिला-जशपुर (छ.ग.)

क्र.	पद का नाम	विषय	माध्यम	अंग्रेजी माध्यम					योग	एकमुश्त मासिक वेतन
				अना. (मुक्त)	अ.पि.व. (मुक्त)	अ.जा. (मुक्त)	अ.ज.जा. (मुक्त)	अ.ज.जा. (महिला)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	व्याख्याता	सामा. अध्ययन	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	38100
2	शिक्षक	अंग्रेजी	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	35400
		विज्ञान	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
3	सहायक शिक्षक	जीव विज्ञान	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	25300
योग :-				4					4	

2. स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दोकड़ा, जिला-जशपुर (छ.ग.)

क्र.	पद का नाम	विषय	माध्यम	अना.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा. (मुक्त)	अ.ज.जा. (महिला)	योग	मानदेय
1	व्याख्याता	अंग्रेजी	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	38100
		सामा. अध्ययन	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
2	शिक्षक	सामा. विज्ञान	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	35400
		अंग्रेजी	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
3	सहायक शिक्षक	गणित	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	25300
4	व्यायाम शिक्षक		हिन्दी	1	-	-	-	-	1	35400
योग :-				6					6	

3. स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बगीचा, जिला-जशपुर (छ.ग.)

क्र.	पद का नाम	विषय	माध्यम	अना.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा. (मुक्त)	अ.ज.जा. (महिला)	योग	मानदेय
1	व्याख्याता	रसायन	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	38100
2	शिक्षक	सामा. विज्ञान	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	35400
		विज्ञान	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
		संस्कृत	हिन्दी	1	-	-	-	-	1	
3	सहायक शिक्षक	हिन्दी	हिन्दी	1	-	-	-	-	1	25300
4	सहा. ग्रेड 03			1	-	-	-	-	1	19500
योग :-				6					6	

4. स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तपकरा, जिला-जशपुर (छ.ग.)

क्र.	पद का नाम	विषय	माध्यम	अना.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा. (मुक्त)	अ.ज.जा. (महिला)	योग	मानदेय
1	व्याख्याता	संस्कृत	हिन्दी	1	-	-	-	-	1	38100
2	शिक्षक	अंग्रेजी	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	35400
		सामा. विज्ञान	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
		विज्ञान	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
3	सहायक शिक्षक	हिन्दी	हिन्दी	1	-	-	-	-	1	25300
		सामा. विज्ञान	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
		गणित	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
4	व्यायाम शिक्षक		हिन्दी	1	-	-	-	-	1	35400
योग :-				8					8	

5. स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ.ग.)

क्र.	पद का नाम	विषय	माध्यम	अना.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा. (मुक्त)	अ.ज.जा. (महिला)	योग	मानदेय
1	व्याख्याता	गणित	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	38100
		भौतिक	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
		रसायन	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
2	प्रधान पाठक	प्राथमिक	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	35400
3	शिक्षक	विज्ञान	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	35400
		गणित	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
		संस्कृत	हिन्दी	1	-	-	-	-	1	
4	सहायक शिक्षक	सामा.विज्ञान	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	25300
		गणित	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
5	कम्प्यूटर शिक्षक		अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	35400
6	व्यायाम शिक्षक		हिन्दी	1	-	-	-	-	1	35400
7	प्रयोगशाला सहायक (जीव विज्ञान)		हिन्दी	1	-	-	-	-	1	25300
योग :-				13					13	

6. स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कांसाबेल, जिला-जशपुर (छ.ग.)

क्र.	पद का नाम	विषय	माध्यम	अना.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा. (मुक्त)	अ.ज.जा. (महिला)	योग	मानदेय
1	व्याख्याता	भौतिक	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	38100
		वाणिज्य	अंग्रेजी	-	-	-	1	-	1	
2	सहायक शिक्षक	हिन्दी	हिन्दी	1	-	-	-	-	1	25300
3	सहायक ग्रेड 03			1	-	-	-	-	1	19500
योग :-				3			1		4	

7. स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय फरसाबहार, जिला-जशपुर (छ.ग.)

क्र.	पद का नाम	विषय	माध्यम	अना.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा. (मुक्त)	अ.ज.जा. (महिला)	योग	मानदेय
1	व्याख्याता	भौतिक	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	38100
		सामा. अध्ययन	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
		वाणिज्य	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
2	शिक्षक	अंग्रेजी	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	35400
		विज्ञान	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
		गणित	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
		हिन्दी	हिन्दी	1	-	-	-	-	1	
3	सहायक शिक्षक	जीव विज्ञान	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	25300
		गणित	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
4	व्यायाम शिक्षक		हिन्दी	1	-	-	-	-	1	35400
5	लेखापाल/सहायक ग्रेड- 02			1	-	-	-	-	1	25300
6	सहायक ग्रेड 03			1	-	-	-	-	1	19500
योग :-				12					12	

8. स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ.ग.)

क्र.	पद का नाम	विषय	माध्यम	अना.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा. (मुक्त)	अ.ज.जा. (महिला)	योग	मानदेय
1	व्याख्याता	जीवविज्ञान	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	38100
		सामा. अध्ययन	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
		वाणिज्य	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
2	शिक्षक	हिन्दी	हिन्दी	1	-	-	-	-	1	35400
2	कम्प्यूटर शिक्षक		अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	35400
3	भृत्य			1	-	-	-	1	2	15600
4	चौकीदार			1	-	-	-	-	1	15600
योग :-				7				1	8	

9. स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पतराटोली, जिला-जशपुर (छ.ग.)

क्र.	पद का नाम	विषय	माध्यम	अना.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा. (मुक्त)	अ.ज.जा. (महिला)	योग	मानदेय
1	व्याख्याता	रसायन	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	38100
		सामा. अध्ययन	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
		वाणिज्य	अंग्रेजी	-	-	-	1	-	1	
2	शिक्षक	गणित	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	35400
3	भृत्य			1	-	-	1	-	2	15600
योग :-				4			2		6	

10. स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.)

क्र.	पद का नाम	विषय	माध्यम	अना.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा. (मुक्त)	अ.ज.जा. (महिला)	योग	मानदेय
1	शिक्षक	विज्ञान	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	35400
		गणित	हिन्दी	1	-	-	-	-	1	
2	सहायक शिक्षक	गणित	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	25300
3	सहायक शिक्षक	गणित	हिन्दी	1	-	-	-	-	1	25300
4	व्यायाम शिक्षक		हिन्दी	1	-	-	-	-	1	35400
5	सहायक ग्रेड 03			1	-	-	-	-	1	19500
योग :-				6					6	

11. स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा, जिला-जशपुर (छ.ग.)

क्र.	पद का नाम	विषय	माध्यम	अना.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा. (मुक्त)	अ.ज.जा. (महिला)	योग	मानदेय
1	व्याख्याता	अंग्रेजी	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	38100
		गणित	हिन्दी	1	-	-	-	-	1	
		भौतिक	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
		रसायन	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
		सामा. अध्ययन	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
		वाणिज्य	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	
2	सहायक शिक्षक	गणित	अंग्रेजी	1	-	-	-	-	1	25300
3	व्यायाम शिक्षक		हिन्दी	1	-	-	-	-	1	35400
योग :-				8					8	

1) न्यूनतम शैक्षणिक/व्यावसायिक तकनीकी अर्हता :-

1.1 व्याख्याता :-

- अभ्यर्थी को अपने सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र (विद्यालयीन अथवा महाविद्यालयीन) के दौरान किसी भी सत्र में अंग्रेजी माध्यम (English Medium) से पढ़ाई किया होना अनिवार्य होगा। हिन्दी माध्यम के विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होगी।
- व्यावसायिक योग्यता:- बी.एड. उत्तीर्ण उपाधि अनिवार्य है तथा,
- शैक्षणिक योग्यता:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों से आवेदित विषय में निम्नानुसार स्नातकोत्तर/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण :-

क्रमशः



स.क्र.	विषय	विषय समूह
(1)	(2)	(3)
1	हिन्दी	हिन्दी (साहित्य)
2	अंग्रेजी	अंग्रेजी (साहित्य)
3	संस्कृत	संस्कृत / वलासिक्स / आचार्य
4	भौतिक	भौतिक / इलेक्ट्रॉनिक्स / एप्लाइड भौतिकी / न्यूक्लियर भौतिकी
5	रसायन	रसायन / बायोकेमिस्ट्री
6	गणित	गणित / एप्लाइड गणित
7	जीवविज्ञान	वनस्पति शास्त्र / प्राणी शास्त्र / लाइफ साइन्स / जैविकी / अनुवांशिकी (जेनेटिक्स) / सूक्ष्म जैविकी (माइक्रोबायोलॉजी) / जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नॉलाजी) / आण्विक जीव विज्ञान (मॉलिकुलर बायोलॉजी) / पादप कार्यिकी (प्लान्ट फिजियोलॉजी) तथा स्नातक स्तर में प्राणीशास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो।
8	सामाजिक अध्ययन	अर्थशास्त्र / एप्लाइड अर्थशास्त्र / बिजनेस अर्थशास्त्र / राजनीति विज्ञान / लोक प्रशासन / भूगोल / इतिहास / प्राचीन भारतीय इतिहास
9	वाणिज्य	एकाउन्टेसी सहित वाणिज्य / कॉस्ट एकाउंटिंग / फाइनेन्सियल एकाउन्टेसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो।

1.2 शिक्षक:-

- a) अभ्यर्थी को अपने सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र (विद्यालयीन अथवा महाविद्यालयीन) के दौरान किसी भी सत्र में अंग्रेजी माध्यम (English Medium) से पढ़ाई किया होना अनिवार्य होगा। हिन्दी माध्यम के विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होगी।
- b) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिये जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।
- c) **व्यवसायिक योग्यता:-** बी.एड. उत्तीर्ण उपाधि अनिवार्य है, तथा
- d) **शैक्षणिक योग्यता:-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से निम्नानुसार आवेदित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

क्र.	विषय	विषय समूह
(1)	(2)	(3)
1	अंग्रेजी	अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो।
2	सामाजिक विज्ञान	इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान में से एक विषय अनिवार्य होगा।
3	विज्ञान	रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भौतिकी, कम्प्यूटर साइंस एवं भू-गर्भ विज्ञान में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर हो तथा बी.ई./बी.टेक,
4	गणित	गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई दो विषय – भौतिक/रसायन/इलेक्ट्रॉनिक्स /कम्प्यूटर साइंस/सांख्यिकी, भू-गर्भ विज्ञान में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर हो तथा बी.ई./बी.टेक,

1.3 सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम):-

- a) अभ्यर्थी का अपने सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र (विद्यालयीन) के दौरान किसी भी सत्र में अंग्रेजी माध्यम (English Medium) से पढ़ाई किया होना अनिवार्य होगा। हिन्दी माध्यम के विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होगी।
- b) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिये जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।
- c) व्यवसायिक योग्यता डी.एड. अथवा डी.एल.एड. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- d) शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से न्यूनतम 50% अंको के साथ बारहवीं (10+2) परीक्षा निम्नानुसार विषय समूह के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य

स.क्र.	विषय	विषय समूह/विशिष्ट विषय
(1)	(2)	(3)
1	हिन्दी	हिन्दी विशिष्ट
2	अंग्रेजी	अंग्रेजी विशिष्ट
3	जीव विज्ञान	जीव विज्ञान विषय समूह
4	गणित	गणित विषय समूह
5	सामा.विज्ञान	कला विषय समूह

1.4 प्रधान पाठक (प्राथमिक) (अंग्रेजी माध्यम) :-

- a) अभ्यर्थी को अपने सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र (विद्यालयीन) के दौरान किसी भी सत्र में अंग्रेजी माध्यम (English Medium) से पढ़ाई किया होना अनिवार्य होगा।
- b) **व्यवसायिक योग्यता:-** डी.एड. अथवा डी.एल.एड. उत्तीर्ण एवं टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- c) **शैक्षणिक योग्यता:-** किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल न्यूनतम 50% अंको के साथ बारहवीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- d) **अनुभव:-** किसी मान्यता प्राप्त संस्था में प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक के पद में 02 वर्षों के कार्य का अनुभव अनिवार्य। अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था में लगातार 03 पूर्ण वर्ष का शिक्षकीय कार्य का अनुभव। अनुभव के साथ नियुक्ति आदेश भी अनिवार्य होगी।

1.5 कम्प्यूटर शिक्षक :-

- a) अभ्यर्थी को अपने सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी सत्र में अंग्रेजी माध्यम (English Medium) से पढ़ाई किया होना अनिवार्य है।
- b) **शैक्षणिक योग्यता:-** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंको के साथ बी.सी.ए., बी. एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस), बी.एस.सी. (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी),

बी.ई./बी.टेक (कम्प्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी)

1.6 व्यायाम शिक्षक :-

- a) आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हिन्दी माध्यम के विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होगी।

- b) **शैक्षणिक योग्यता:-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से न्यूनतम 50% अंको के साथ स्नातक/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

- c) **व्यवसायिक योग्यता:-** डी.पी.एड./बी.पी.एड. अथवा एम.पी.एड. उत्तीर्ण अनिवार्य।

1.7 लेखापाल/सहायक ग्रेड-02

- a) शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से न्यूनतम 50% अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण

- b) **व्यवसायिक योग्यता:-** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा,

- c) कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग का 5000 key डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए। (इस संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)

1.8 प्रयोगशाला सहायक :-

- a) प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के लिए जीव विज्ञान विषय समूह के साथ मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से न्यूनतम 50% अंको के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण।

1.9 सहायक ग्रेड-03

- a) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हाई स्कूल उत्तीर्ण एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा न्यूनतम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तथा

- b) **व्यवसायिक योग्यता:-** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा,

- c) कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग का 5000 key डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए। (इस संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)

1.10 भृत्य

- a) **शैक्षणिक योग्यता:-** साथ उत्तीर्ण अनिवार्य। कक्षा 8वीं की परीक्षा न्यूनतम बी (B) ग्रेड अथवा न्यूनतम 50% अंकों के

2) संविदा भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्देश :-

- i. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक-19688/2022 के अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।
- ii. उपरोक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक-WPS 7344/2023 में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।
- iii. विज्ञापित पदों को संविदा से भरे जायेंगे।
- iv. विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है। पदों की संख्या घट, बढ़ अथवा विलोपित हो सकती है।
- V. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अधीन होगी।
- vi. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र की मूल प्रति ही अपलोड करने पर मान्य किए जावेंगे।
- vii. आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- viii. स्नातक/ स्नातकोत्तर के सभी वर्ष /सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम की समस्त मूलप्रति को एक पी.डी.एफ. फाईल में अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
- ix. विज्ञापित पद पूर्णतः अस्थायी है। संविदा नियुक्ति की अवधि में नियोक्ता या नियुक्त अभ्यर्थी में से किसी भी पक्ष द्वारा 01 माह का वेतन या सेवा समाप्ति के 01 माह पूर्व सूचना देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। संविदा शिक्षक/कर्मचारियों के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम के प्रतिकूल व गंभीर स्थिति / प्रकरण में तत्काल उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
- xi. नियोक्ता समिति द्वारा संविदा पद पर नियुक्त समस्त अभ्यर्थियों के कार्य, व्यवहार, आचरण एवं कार्य प्रदर्शन का प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति में मूल्यांकन किया जावेगा एवं उपयुक्तता के आधार पर संविदा अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी।
- xii. अभ्यर्थी, किसी भी पद पर आवेदन के पूर्व अपनी पात्रता एवं आवेदित पद हेतु वांछित न्यूनतम अर्हता का परीक्षण स्वयं कर लेवें, त्रुटिपूर्ण आवेदन, भ्रामक या गलत जानकारी के आधार पर अभ्यर्थी को भर्ती के किसी भी चरण में अपात्र घोषित किया जा सकता है, तथा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। केवल आवेदन कर देने मात्र से ही अभ्यर्थी का आवेदित पद पर चयन का अधिकार नहीं होगा।
- xiii. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे, अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
- xiv. संविदा नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी प्रकृति की होगी एवं नियुक्त अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित एकमुश्त वेतन के अतिरिक्त स्थाईकरण,

- xv. नियमितिकरण, संविलियन, पेंशन या अन्य कोई सेवा लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, न ही इस संबंध में कोई दावा विचारणीय होगा।
- xvi. अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जावेगा तथा संबंधित अभ्यर्थी को साक्षात्कार / कौशल परीक्षा/चयन हेतु अपात्र किया जा सकेगा।
- xvii. संविदा नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को 21 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर), के आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग छ.ग. शासन द्वारा आयु सीमा में छूट संबंधी निर्देश लागू होंगे। समी वर्ग के महिलाओं, निःशक्तजन, शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा किन्तु सभी देय छूटों को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- xviii. आयु के सत्यापन / समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8वीं, 10वीं की अंकसूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- 3) चयन प्रक्रिया :-
- i. साक्षात्कार / कौशल परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- ii. आवेदन एवं चयन प्रक्रिया तथा रिक्त पदों के आरक्षण के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिये पृथक पृथक मानव संसाधन (शैक्षणिक / गैर शैक्षणिक) सेट-अप प्रत्येक विद्यालय को पृथक-पृथक ईकाई मानकर स्वीकृत किया गया है, जिस पर नियुक्ति का अधिकार संबंधित विद्यालय की प्रबंधन एवं संचालन समिति को दिया गया है। चयन प्रक्रिया के सरलीकरण, श्रम एवं संसाधन की बचत, अभ्यर्थियों की सुविधा तथा पात्र एवं उत्कृष्ट अभ्यर्थियों को अधिकाधिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से एकीकृत ऑनलाईन आवेदन लिये जा रहे हैं। अतः जिले के समस्त विद्यालयों हेतु स्वीकृत कुल पदों का विषयवार योग करते हुये (प्रवर्गवार एवं विषयवार एकीकृत मेरिट सूची तैयार कर) अधिकतम 20 गुना तक, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार / कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जावेगा। न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के सारांश एवं साक्षात्कार तथा कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको का योग कर अंतिम एकीकृत मेरिट सूची तैयार की जावेगी। अंतिम मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का काउंसिलिंग उपरांत प्राथमिकता क्रमानुसार विद्यालयों में पदस्थ किया जावेगा।
- iii. दस्तावेज सत्यापन हेतु एकीकृत कुल पद के विरुद्ध सारांश आधारित मेरिट क्रम में अधिकतम 25 गुना तक, अभ्यर्थियों को मूल प्रमाणपत्रों की जाँच / सत्यापन हेतु आहूत किया जावेगा।
- Iv. प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के धयन एवं नियुक्ति की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में पदस्थापना हेतु दिए गये प्राथमिकता क्रम को विचार में नहीं लिया जावेगा। प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति, पूर्णतः पदों की रिक्तता के आधार पर होगी।
- V. अंतिम एकीकृत मेरिट सूची 01 वर्ष तक वैध रहेगी।
- vi. चयन सूची के प्रतीक्षा सूची से जिले में संचालित 11 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम मनोरा, जशपुर, पतराटोली, कुनकुरी, फरसाबहार, कांसाबेल, बगीचा, पथलगांव, तपकरा, दोकड़ा एवं कोतबा किसी भी स्कूल में रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी।
- vii. काउंसिलिंग के माध्यम से पदस्थापना हेतु विद्यालय आबंटित की जायेगी।
- viii. संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा, तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
- ix. उक्त विज्ञापित पदों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार / कौशल परीक्षा में आमंत्रित करने हेतु व्यवसायिक योग्यता के प्राप्तांक को भारांश में शामिल नहीं किया जावेगा।
- x. मेरिट सूची हेतु निम्नांकित तालिका अनुसार शैक्षणिक योग्यता का वेटेज प्रतिशत की गणना

कक्षा	पद संवर्ग					
	सहायक शिक्षक / प्रयोग शाला सहायक / प्रधान पाठक (प्राथमिक) पद संवर्ग	शिक्षक / व्यायाम शिक्षक पद संवर्ग	व्याख्याता पद संवर्ग	कम्प्यूटर शिक्षक	सहायक ग्रेड 03	सहायक ग्रेड 02
1	2	3	4	5	6	7
10वीं	20%	10%	5%	10%	20%	10%
12वीं	40%	10%	5%	10%	30%	10%
स्नातक	-	40%	20%	40%	-	30%
स्नातकोत्तर	-	-	30%	-	-	-
योग	60%	60%	60%	60%	50%	50%

xi. अंतिम चयन सूची हेतु निम्नांकित तालिका अनुसार गणना की जायेगी :-

क्र	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता का कुल अंक भार	साक्षात्कार / प्रायोगिक / कौशल परीक्षा का अंक भार	कुल अंक भार
1	समस्त विज्ञापित पदों हेतु (सहायक ग्रेड 02, 03 एवं चतुर्थ श्रेणी के पद को छोड़कर)	60%	40 % (शैक्षणिक कौशल, विषय ज्ञान, अंग्रेजी सम्प्रेषण व साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षा हेतु)	100%
2	सहायक ग्रेड 02, सहायक ग्रेड 03 हेतु	50%	50% (कौशल परीक्षा हेतु)	100%
3	चतुर्थ श्रेणी के पद संवर्ग हेतु	वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।		

की जायेगी :-

4). ऑनलाईन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश :-

1. ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी का E-mail आई.डी. होना अनिवार्य है। E-mail आई.डी. नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी E-mail आई.डी. बना लेंगे।
- ii. ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी को पोर्टल में अपना मोबाइल नं. से पंजीयन किया जाना अनिवार्य होगा।
- iii. समस्त दस्तावेजों की मूलप्रति की पी.डी.एफ. फाईल ही अपलोड किया जाना है। अपलोडिंग हेतु किसी भी दस्तावेज की छायाप्रति अपलोड किया जाना मान्य नहीं होगा, केवल दस्तावेजों की मूलप्रति ही अपलोड किये जाने पर मान्य होगा।
- iv. ऑनलाईन आवेदन प्रारूप के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति (Original Scanned Document Copy) ही अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- V. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
- vi. अभ्यर्थी के द्वारा मोबाईल के माध्यम से आवेदन किये जाने पर त्रुटि होने की संभावना हो सकती है, अभ्यर्थी कम्प्यूटर सिस्टम / लैपटॉप अथवा किसी भी ऑनलाईन / डिजिटल सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। त्रुटिपूर्ण भरे आवेदन निरस्त किये जा सकते हैं एवं निरस्तीकरण के संबंध में पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
- vii. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अन्य किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- viii. ऑनलाईन आवेदन की त्रुटि सुधार हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात 01 दिवस का समय दिया जावेगा। इस अवधि में नये आवेदन का पंजीयन नहीं हो सकेगा। आवेदक को सफलतापूर्वक भरे गये आवेदन का प्रिंटआउट कर अपने पास अनिवार्य रूप से रखना होगा।
- ix. नियुक्ति पश्चात् पुलिस विभाग से अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर सेवा से तत्काल पृथक किया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।
- अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान में पासपोर्ट साइज कलर फोटो, हस्ताक्षर व अन्य अनिवार्य दस्तावेज की मूल प्रति अपलोड करना होगा।
- xi. आवेदक के द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि... तक जारी किया होना अनिवार्य है। आवेदन के अंतिम तिथि के उपरांत जारी कोई भी दस्तावेज अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा उक्त संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के प्रमाण-पत्र स्वीकर नहीं किये जायेंगे।
- xii. आवेदन का प्रारूप नियम व शर्तें हेतु जिले के वेबसाईट <https://jashpur.nic.in> में अवलोकन किया जा सकता है तथा आवेदन भरने के लिए वेबसाईट की मेनु नोटिस (Notice) के सब-मेनु (Recruitment) में लिंक दिनांक तक सक्रिय रहेगी।
- xiii. अभ्यर्थी जिले के वेबसाईट में दिये गये लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाईन भर सकते हैं।
- xiv. चयन प्रक्रिया संबंधित समस्त निर्देश एवं कार्यावाहियों की सूचना जिला जशपुर के वेबसाईट www.jashpur.nic.in पर अद्यतन की जावेगी अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पश्चात् नियमित रूप से जिले की वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

XV. संविदा भर्ती हेतु चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य की जावेगी। विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति का निर्णय ही अंतिम व सर्वमान्य होगा। नियुक्त अभ्यर्थी पर छ.ग. संविदा भर्ती नियम 2012 के अधीन समस्त नियम व शर्तें लागू होंगे।

5) अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्तकर्ता का विनिश्चय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा :-

1. चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा।
2. चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अथवा नियुक्तकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्तकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन / नियुक्ति नियुक्तकर्ता द्वारा बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय,
संचालन एवं प्रबंधन समिति जिला जशपुर (छ.ग.)

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद (छ०ग०)

जिला न्यायालय परिसर, बालोद (छ०ग०)

फोन नं. 07749-299056 ई-मेल: disa.balod@gmail.com

क्रमांक- 465/जि०वि०से० प्रा०/2025

बालोद, दिनांक 02.07.2025

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि- 21/07/2025 की संध्या 5.00 बजे तक (केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से)

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद जिला बालोद छ०ग० के अंतर्गत संचालित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम बालोद के स्थापना हेतु नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम, संशोधित स्कीम 2022 में जारी दिशा निर्देश एवं छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर का पत्र क्रमांक 7490/ एल.ए.डी.सी.एस. -23/2024 दिनांक 11.11.2024 में दिये निर्देशानुसार डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल के पद हेतु निर्धारित मानदेय पर संविदा नियुक्ति किये जाने हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

संविदा नियुक्ति हेतु रिक्त पद का विवरण		
स.क्र.	रिक्त पद का नाम	रिक्त पद की संख्या
01	02	03
01	डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल	01 (अनारक्षित मुक्त वर्ग)

महत्वपूर्ण टीप:-

- पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
- विज्ञापन में कोई भी शुद्धिपत्र जारी करना व चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना इत्यादि भर्ती समिति का अधिकार होगा, जो कि अंतिम व बंधनकारी होगा एवं इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जायेगा।
- डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल (संविदा) के पद पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये होगी। नियुक्त किये गये स्टॉफ की उपस्थिति, कार्यप्रणाली संतोषप्रद व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- परीक्षा/साक्षात्कार तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद (छ०ग०) के पास सुरक्षित होगा।
- संविदा कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्तमान में निर्धारित परिपत्र / नियम / शर्तों के प्रावधानों के अधीन शासित होंगे।

-: भर्ती की पात्रता एवं शर्तें:-

डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल (संविदा) पद के लिये

अ- मानदेय :- एकमुश्त 40,000/-रु० मासिक

ब- Qualifications:-

- Practice in Criminal law for at least 7 Years,
- Excellent understanding of criminal law,
- Excellent oral and written communication skills,
- Skill in legal research,
- Thorough understanding of ethical duties of defense counsel,
- Ability to work effectively and efficiently with others, Must have handled at least 20 criminal trials in sessions courts, may be relaxed in exceptional circumstances by Hon'ble executive Chairman, SLSA,
- A IT knowledge with proficiency in work.

Work Profiles:

- Conducting trials/ appeals/ Remand work /Bail Applications/visits to prisons etc., as assigned by Chief Legal Aid Defense Counsel,
- Filing and arguing appeals and bail applications in Courts,
- Maintaining complete case files,
- Doing legal research in legal aided cases and guiding assistant legal Aid Defense Counsel and law students attached with the of- fice in legal research,
- Proper client interviews at various stages for quality research work and representation at remand, trial and appellate stage,
- All or any of the work of the Chief defense Counsel as per assignment,
- Any work/duty assigned by Legal Services Authority.
- Termination of Services.

Services of any legal aid defense counsel engaged in the office of Legal Aid Defense Counsel can be terminated at any time without any prior notice in the following cases by the Chairman, DLSA on recommendation of the Secretary DLSA or on the directions by SLSA in writing.

- He/she substantially breaches any duty or service required in the office, or
- Seeks or accepts any pecuniary gains or gratification in cash or kind from the legal aid seekers or beneficiary or his friend or relative, or
- Charged or Convicted for any offence by any court of law, or
- Indulges in any type of political activities, or
- Found incapable of rendering professional services of the re quired standards,
- Failure to attend training programmes without any sufficient cause, or
- Indulges in activities prejudicial to the working of legal aid de fense counsel office, or
- Using his/her position in legal aid defence counsel office to se cure unwarranted privileges or advantages for him/herself or others, or
- Acts in breach of code of ethics, or
- Remains absent without leave for more than two weeks, or
- If services are found unsatisfactory during the six monthly per formance review by the SLSA or DLSA

Code of Ethics:

Personnel engaged in the office of Legal Aid Defense Counsel shall observe the following code of ethics:

- No personnel shall act in any matter in whcih he/she has a direct or indirect personal or financial interest,
- No Personnel shall wilfully disclose or use, whether or not for the purpose of pecuniary gain, any information that he/she obtained, received or acquired during the fulfilment of his/her official du ties and which is not available to members of the general public,
- No personnel within the office of Legal Aid Defense Counsel shall make use of his/her office or employment for the purpose of pro moting or advertising any outside activity,
- No personnel within the office of Legal Aid Defense Counsel shall engage in any outside activity or act as an independent practitioner,
- No personnel within the office of legal Aid Defense counsel shall solicit, agree to accept or accept, whether directly or indirectly, any gift, favour, service, or other thing of value under circum stances from which it might be reasonably inferred that such gift, service, or other thing of value was given or offered for the purpose of influencing him/her in, or rewarding him/her for, the discharge of his/her official duties,
- Legal Aid Defense Counsel shall devote his/her full time to his/her duties for the office of Legal Aid Defense Counsel and shall not engage in private practice or law during the term of employment,
- Every Personnel of the Office of Legal Aid Defense Counsel shall strive to preserve the public's confidence in the office's fair and impartial execution of its duties and responsibilities,
- Legal Aid Defense Counsel shall also follow the code of ethics prescribed by Bar Council of India for lawyers.

क्रमशः



Entitlement to Leave:-

- Deputy Chief Legal Aid Defense Counsel shall be eligible for 15 days' leave in a calendar year on pro-rata basis,
- No remuneration for the period of absence in excess of the admissible leave will be paid to the human resource of Legal Aid Defense Counsel office, Un-availed leave shall neither be carried forward to next year nor encashed.

-: नियुक्ति हेतु शर्तें:-

- चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त की जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।
- आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।
- जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/ निगम / मण्डल/उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने करने का विशेष कारण है, तो तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दिया जा सकेगा।
- कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का सिद्धोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- अभ्यर्थी को किसी उच्च न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया हो तो वह अपात्र माना जायेगा।

-: आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

- [01] आवेदन पत्र, विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर, वह आवेदित पद, जिसके लिये आवेदन किया गया हो, स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर प्रेषित किया जावे। जैसे कि डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल (संविदा) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो। प्रेषित किया जाने वाला आवेदन पत्र, कार्यालय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.) पिन कोड-491226 के पता पर प्रेषित किया जावे। केवल वह आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जाएंगे, जो कि स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किये गये हों और इस कार्यालय को दिनांक 21.07.2025 की संध्या 05:00 बजे तक प्राप्त हो गये हों। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से तथा दिनांक 21.07.2025 की संध्या 05:00 बजे उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
- [02] आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- [03] आवेदन पत्र के साथ बार काउंसिल द्वारा जारी नामांकन प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति, बार एसोसिएशन / काउंसिल द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, 20 सत्र मामलों की सूची मय प्रतिपरीक्षण साक्ष्य की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- [04] अभ्यर्थी को लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है।
- [05] जन्मतिथि की सत्यता हेतु सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल या हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- [06] ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवार्त हैं, उन्हें अपने वर्तमान नियोक्ता/विभाग प्रमुख से उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- [07] आवेदन पत्र में स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो स्वप्रमाणित किया हुआ चस्पा होना चाहिये तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड या वोटर कार्ड या ड्रायविंग लायसंस या पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- [08] पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों के विलंब से प्राप्त होने या प्राप्त नहीं होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
- [09] ई-मेल, फैक्स, कोरियर एवं अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- [10] आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।
- [11] आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी सही एवं पूर्ण रूप से भरें। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

-- नियुक्ति हेतु चयन विधि:-

डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल/असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल :-

- (अ) डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल/असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल के पद हेतु अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर साक्षात्कार में सीमित करने के प्रयोजन से उनके स्नातक में प्रप्तांक के प्रतिशत (मेरिट) के आधार पर रिक्त पदों के 10 गुणा के सीमा के लगभग आवेदकों की छंटनी कर दी जाएगी।
- (ब) डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल के पद हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जावेगा।

-: चयन एवं प्रतीक्षा सूची :-

- (01) डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल के पद पर चयन हेतु, साक्षात्कार एवं योग्यता के आधार पर मेरिट अनुसार सूची तैयार करते हुए चयन एवं प्रतीक्षा सूची तैयार किया जावेगा।
- (02) प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। यदि चयनित अभ्यर्थी, चयनित पद का कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर पद से त्याग पत्र देता है या उसे पद मुक्त कर दिया जाता है, मृत्यु या अन्य कारणों से यदि पद रिक्त हो जाता है तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी को उस पद हेतु अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद छ०ग० के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।
- (03) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस आवेदक का नाम प्रथम आयेगा, उनका चयन किया जावेगा।
- (04) संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

-: महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (1) चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (2) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) का होगा।
- (3) उक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड के स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
- (4) चयनित उम्मीदवारों के, जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- (5) चयन प्रक्रिया के संबंध में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- (6) यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
- (7) जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
- (8) आवेदक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद की वेबसाइट balod.dcourts.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित हो सकेंगे। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के फोटोग्राफ कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज, जैसे कि आधार कार्ड या ड्रायविंग लायसंस या मतदाता परिचय पत्र या पैनकार्ड की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा। दक्षता / कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
- (9) आवेदक परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिये निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व पंजीयन हेतु उपस्थित होंगे, विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जावेगा।
- (10) आवेदकों को पृथक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा। आवेदकों का पंजीयन क्रमांक तथा अनुक्रमांक की जानकारी जिला न्यायालय के वेबसाइट तथा सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा, जिसे ही अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र पर अंकित करना है।

-: अन्य महत्वपूर्ण सूचना :-

01. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्हमान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।
02. परीक्षा से संबंधित अभिलेख नियमानुसार विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे। नियत अवधि के पश्चात् सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन मान्य नहीं होगा। चयन प्रक्रिया के संबंध में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद, जिला बालोद छ०ग० का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

सही/-

अध्यक्ष

भर्ती एवं चयन समिति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद

जिला-बालोद (छ.ग.)

क्रमशः



**APPLICATION FOR ENGAGEMENT AS FULL TIME
LEGAL AID LAWYER IN LEGAL AID DEFENSE COUNSEL SYSTEM
(APPLICATION FOR DEPUTY CHIEF LEGAL AID
DEFENSE COUNSEL)**

**Affix Your
Recent Passport
Size Photo With
Sign.**

1. Applicant's Name -----
2. Father/Husband's Name : -----
3. Date of Birth : -----
4. Age (as on 01-01-2025) : -----
5. Gender : -----
6. Residential Address : -----
7. Office Address -----
8. Chamber Address(if any) : -----
9. Telephone n. (O) : -----
10. Telephone no. (R) : -----
11. Mobile No. : -----
12. Fax No. : -----
13. E-mail ID : -----
14. PAN No. : -----
15. AADHAR No. :: -----
16. Educational Qualification
(Please enclose self-attested copies of documents):

Course	Name of Board/University	Year of Passing	Marks Obtained	Total Marks	Obtained Percentage (aggregate)
Graduation					
Professional Degree LLB					
LLM					
Any Other (if any)					

17. Date of Enrollment as Lawyer: -----
18. Enrollment No. : -----
(Attach self-attested copy of enrollment certificate Issued by Bar Council)
19. Experience in Bar (Duration of actual practice) : -----
(Attach an experience certificate issued by the Bar Association/Council)
- (a) Total no. of cases handled: -----
- (b) Nature of cases handled -----
(Attach extra sheet, if required)
- (c) Specilization, if any : (The details -----
of a few inimportant cases, the Applicants have dealt wtl/handled and reported judgement if any)
20. Whether empanelled as Central/State Government -----
or Government undertaking counsel/pleader
(Indicate period & attach documents) :
21. The Courts where the Applicant is regularly practising -----
(Enclose Bar Association Membership Certificate)
22. Spceify whether earlier remained on the panel of HCLSC/DLSA or TLSC (Indicate period, number of legal aid cases handled & result) (attach documents)
23. Whether any disciplinary case/Complaint is/was against the Applicant with any Bar Council YES NO
(If yes, specify details of both disposed & pending with documents)
24. List of the documents to be attached:-
 1. Self-Attested copy of Certificates in support of educational qualifications.
 2. Self-Attested copy of Certificates in Enrollment issued by the Bar Council under the Advocates act, 1961.
 3. Self-Attested copy of Photo Identity Card, Address Proof.

4. Self-Attested copy of ITR for last 3 years (if available).
5. Photo coples of judgements in 5 Sessions cases, represented as Defense lawyer, (for the post of Deputy Legal Aid Defense Counsel).
6. Photocopies of at least 5 cross examination in Sessions cases (for Deputy Legal Aid Defense Counsel).
7. List of handled at least 20 Criminal trials in Sessions with Photocopies of cross examination.

Date-----

Place-----

Signature of Applicant-----

Name & Address-----

Mobile No-----

E-Mail

(Fill out the mandatory)

DECLARATION

I.....hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found/incorrect at any stage, my candidature is liable to be cancelled. I have read and understood the instructions and terms of the engagement and agrees to abide by those. I declare that I fulfil the eligibility conditions for the category to which I am seeking engagement. I declare that I have never been penalised by any Bar Council in any Disciplinary Proceedings. I also undertake to maintain absolute integrity and discipline as required thereunder. I agree with the remuneration structure and all the terms and conditions notified by SLSA/DLSA concerned.

Place:-----

Date:-----

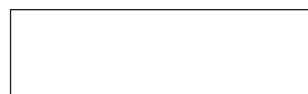
(Signature with Name)

Office of District Legal Services Authority, District Balod (C.G.)**Admit Card****(For Deputy Chief Legal Aid Defense Counsel)**

Registration No.	:	
Roll No.	:	

**Affix Your
Recent Passport
Size Photo With
Sign**

1. Name of Post Applied for :
2. Applicant's Name :
3. Father/Husband's Name :
4. Category (Gen/OBC/ST/SC)
5. Date of Examination :
6. Time of Examination
7. Examination Centre :

Signature of Examinee**For Office Use Only****For/Chairman, District Legal Services
Authority, Balod, District Balod (C.G.)****Instruction for Examinee**

01. Examinee should appear 1 hour before the scheduled time.
02. Mobile, Smart Watch, Bluetooth & Other Electronic Devices are prohibited in Examination Hall.
03. On the day of the examination, the examinee is required to bring his/her admit card.
04. Information about the Registration no. & Roll no. can be obtained from the official website balod.dcourts.gov.in.

आर.ओ.79/जी-252601954/4

कार्यालय अधिष्ठाता, स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 3394 / स्था/ शाचिम / 2025

जगदलपुर, दिनांक 25/06/2025

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) हेतु स्वीकृत निम्नलिखित शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए संविदा भर्ती हेतु कार्यालय अधिष्ठाता, स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर में प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह के गुरुवार को प्रातः 11:00 बजे वाक इन इन्टरव्यू आयोजित किया जाता है, के अनुक्रम में इस माह भी आयोजित की जावेगी।

इस संस्था के विभिन्न विभागों में आरक्षित/अनारक्षित वर्ग के चिकित्सा शिक्षकों, चिकित्सकों, सीनियर रेसीडेंट, जूनियर रेसीडेंट, प्रदर्शक / ट्यूटर एवं अन्य चिकित्सक प्रथम, द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों पर आरक्षण रोस्टर अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु एन०एम०सी० के मापदण्ड की अर्हता अधिकतम आयु 70 वर्ष तक नियुक्ति मान्य होगी) रखते हों। योग्य उम्मीदवार (MBBS, PG, Certificate, Registration, Pan Card, Experience Certificate, Domicile Certificate, Caste Certificate and Relieving letter from previous institution, applicable etc.) एवं उनकी स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ इस महाविद्यालय में कार्यालयीन समय में स्वयं के व्यय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते है।

क्र	प्राध्यापक	एक मुश्त संविदा वेतन	रिक्त पद	अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	अ.पि.वर्ग	अन्य
1	प्राध्यापक	2,25,000/-	04	01	00	01	02
2	सह प्राध्यापक	1,85,000/-	13	04	00	02	07
3	सहायक प्राध्यापक	1,25,000/-	24	08	01	03	13
4	सीनियर रेसिडेंट(पी.जी.)	95,000/-	26	09	01	03	13
5	जूनियर रेसिडेंट	63,000/-	21	07	00	03	11
6	प्रदर्शक	53,000/-	04	01	00	01	02

			सर्जरी-02
			निश्चेतना - 02
			रेडियोडायग्नोसिस - 01
			मेडिसीन- 05
			शिशुरोग-01
			टी.बी.एण्ड चेस्ट-2
			मनोरोग-02
4	सीनियर रेसिडेंट	26	सर्जरी- 02
			नाक, कान एवं गला-01
			निश्चेतना- 08
			चर्म रोग- 01
			रेडियोडायग्नोसिस-04
5	प्रदर्शक	5	फॉरेंसिक मेडिसीन-02
			चर्म रोग-01
			नेत्ररोग-01
			निश्चेतना-01
6	जूनियर रेसिडेंट	24-3=21	मेडिसीन- 06
			चेस्ट एण्ड टी.बी.- 01
			सर्जरी- 05
			अस्थि रोग- 04
			नाक, कान एव गला -02
			नेत्ररोग - 03
			स्त्रीरोग एवं प्रसूति-03

चिकित्सा शिक्षकों की विभागवार रिक्त पदों की जानकारी जून-2025

क्र	पदनाम	रिक्त पद	विभागवार रिक्त पद
1	प्राध्यापक	4	एनाटॉमी- 01 फार्माकोलॉजी - 01 माईक्रोबायोलॉजी 01 रेडियोडायग्नोसिस - 01
2	सह प्राध्यापक	13	एनाटॉमी- 01 फिजियोलॉजी - 01 बायोकेमेस्ट्री- 01 फार्माकोलॉजी 01 पैथोलॉजी -01 माईक्रोबायोलॉजी 01 मेडिसीन-01 चर्म रोग- 01 मनोरोग- 01 सर्जरी-01 नेत्ररोग- 01 स्त्रीरोग एवं प्रसूति-01 रेडियोथेरेपी-01
3	सह प्राध्यापक	23	एनाटॉमी- 02 फिजियोलॉजी बायोफिजिक्स - 02 फार्माकोलॉजी फार्मासिटीकल केमेस्ट्री - 03 पैथोलॉजी 02 फॉरेंसिक मेडिसीन- 01 पी.एस.एम. एपीडेमोलॉजिस्ट - 04 चर्म रोग- 01 मनोरोग-01 शिशुरोग - 02

विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर की वेबसाईट- gmcyjagdalpur.ac.in पर उपलब्ध है। रिक्त पदों की संख्या समय-समय पर परिवर्तनीय है।

अधिष्ठाता
स्व. बी.आर.के.स्मृति
शाचिम डिमरापाल, जगदलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता

पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र./चिकि./बायोटेक./12251/2025

रायपुर, दिनांक 30/06/25

संशोधित प्रवेश सूचना

एम.एस-सी. मेडिकल बायोटेक्नालाजी कोर्स सत्र 2025-26

आवेदन फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि-21.07.2025

आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि-21.07.2025

पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर द्वारा बायोकेमेस्ट्री विभाग में संचालित एम. एस-सी. मेडिकल बायोटेक्नालॉजी पाठ्यक्रम में सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाना है। इस हेतु विभाग के पत्र क्रमांक / चिकि./ बायोके. / एम.एस.सी./2025/9104 रायपुर, दिनांक 05/05/2025 के द्वारा प्रवेश सूचना प्रकाशित किया गया था। उक्त प्रवेश सूचना में अपरिहार्य कारणों से अंतिम तिथि में वृद्धि करते हुए दिनांक 21/07/2025 किया जाता है एवं प्रवेश परीक्षा की संशोधित तिथि महाविद्यालय के वेबसाईट के माध्यम से सूचित की जायेगी। शेष सूचना यथावत रहेगी।

अधिष्ठाता पं. ज.ने. स्मृति
चिकित्सा महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

आर.ओ.80/जी-252601924.5

उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र
(महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय) सांकरा, पाटन, जिला-दुर्ग 491111 (छ.ग.)
COLLEGE OF HORTICULTURE & RESEARCH STATION
(MAHATMA GANDHI UDYANIKEE EVAM VANIKEE VISHWAVIDYALAYA)
Sankara, Patan, Dist.-Durg 491111 (C.G.) Phone: 6260737117, E-mail: chrs.sankra@mguvv.ac.in

No./CHRS/Acad/GT/2025/389

Sankara, Date 27/06/2025

ADVERTISEMENT FOR GUEST TEACHERS

Applications are invited from eligible candidates for the selection of Guest Teachers (purely temporary basis) to teach students of B.Sc. Horticulture (Hons.) degree programme at College of Horticulture and Research Station, Sankara, Patan Durg (C.G.). Details are as follow:-

As per Registrar, MGUVV, Circular, No./Registrar/Academic/-18 3-1/2025/310, Camp Office Raipur, dated 27/05/2025, the eligible candidates are invited to appear for a Walk-in- Interview for the contractual position of Guest teacher in the following disciplines:

S.No	Discipline	No of Post	Qualifications	Honorarium for Guest Teacher
1	Post. Harvest and Processing Technology	01	1. Master degree in relevant subject of General Horticulture (for the post of Post Harvest and Processing Technology only), Agricultural Statistics, Entomology, Plant Pathology and Plant Physiology with atleast 55% marks (or its equivalent grade 6.50 in 10:00 scales) with good academic record. 2. For the candidates having Master's degree, NET (National Eligibility Test) shall remain compulsory along with 02 publications in NAAS (National Academy of Agricultural Science, New Delhi) rated referred journal for recruitment to the post of Assistant Professor and equivalent in the disciplines in which NET is conducted. Essentially of NET can be waved off for the candidates holding Ph.D. degree provide d it has been done with course work as prescribed by the UGC regulation 2009 and the candidates has at least two full length publications having a NAAS rating not less than 4, on the last date of submission of application. Those candidates with Ph.D. degre e without course work will not qualify for NET exemption,	Rs. 1800/- per day & Maximum 40000/- per month (For Ph. D. & NET qualified)
2	Agriculture Statistics and Computer Science	01		Rs. 1800/- per day & Maximum 40000/- per month (For Ph. D. qualified)
3	Entomology	01		
4	Plant Pathology	01		
5	Plant Pathology	01		Rs. 1500/- per day & Maximum 36000/- per month (For M. Sc. & NET qualified)

Interested eligible candidates should send their duly filled application form filled along with self attested Photograph, copies of certificates, relevant documents of experience and publication etc. through speed post/ registered post/ physical mode at Dean, College of Horticulture and Research Station, Sankara, Patan, Dist. Durg (C.G), 491111. (Mail will not be considered). The candidates must mention the subject on the envelope in capital letters and candidate must appear for the interview on the date and time as mentioned below with all original documents.

Last date of submission of Application: 11/07/2025 (Before 5: 00 PM)
Date & Time of Interview:

S. No.	Discipline	Date and Time of Interview
01	Post Harvest and Processing Technology	23/07/2025 11 AM onwards
02	Agriculture Statistics and Computer Science	
03	Entomology	25/07/2025 11 AM onwards
04	Plant Pathology	
05	Plant Physiology	

Interview Venue: Office of the Dean, College of Horticulture and Research Station, Sankara, Patan, Dist. Durg (C.G)
Terms and Conditions:

- The candidates shall apply through Speed Post/registered Post only in prescribed format. Incomplete application shall be rejected.
- The post of Guest Teacher is purely temporary and selected candidates will have no right to claim for regular appointment on any post as advertised by Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Vishwavidyalaya, Sankara- Patan, Durg.

- An appointment of Guest Teacher is temporary for Six Month of till the appointment of regular teacher, whichever is earlier. In case if eligible candidates are not available as mentioned above, in extreme cases under exigency, the PG candidates may also be considered for part time teacher on period basis for only Six Month after approval of competent authority.
- The University has reserves the right to fill up any post on fixed criteria for calling the candidates for interview and or not to call any of the applicants for interview. No appeal will be accepted/entertained in this matter and University decisions will be final.
- If the performance of selected candidate found unsatisfactory, services of candidates can be withdrawn by one week notice. In case, if any credentials claimed by the candidate are found wrong, he/she will be removed from services.
- No TA/DA will be provided to candidates for appearing Interview.
- Maximum age limit is 40 years, Five (05) years relaxation will be given for SC, ST, OBC and candidates as per C.G. Govt. rules.
- The candidates shall bring all original documents along with 01 set of photocopy for verification on the date of interview failing which they will not be allowed for appearing in interview.
- The Guest Teacher has to perform the duties of teaching, examination, laboratory, sports, cultural activities, other assignment etc. allotted from time to time.
- Any kind of influence of canvassing in any form will be considered for rejection of applicant.
- The College reserves the right to increase/decrease or not to fill up any of the post.
- After selection the candidates have to submit affidavit on judicial stamp paper of Rs. 50/- as per format to agree the terms and conditions prescribed by University.
- In case of any inadvertent mistake in the process of selection which may be detected at any stage even after appointment. The College/ University reserves the right to modify/withdraw/cancel any communication made to the candidates.
- Detailed information regarding qualification, pay other terms condition and application proforma as per University rules, regulation and notification No. 69 dated 27/05/2025 may be downloaded from University Website: www.mguvv.ac.in.

Dean

APPLICATION FORM FOR GUEST TEACHER

Name of the post and subject-----
Advertisement Number-----
Serial No. of the post-----

Affix self
attested Recently
Coloured
passport photo

1	Name in full (Block letters)	
2	Fathers/Husband Name	
3	Address	
	(i) Present address. Mob. & Email	
	(ii) Permanent address	
4	Date of Birth According to High School Certificate	
	Age (Year and Month) as on last date of application submission	
5	Are you bonafide resident of Chhattisgarh	

6	Place of Birth (with name of village/city/district/state)	
7	(a) Mother Tongue	
	(b) Other language speak, read and write, fluently	
8	Category (UR.ST.SC,OBC)	
9	If you are disabled, type of disability (Please enclose certificate from competent authority)	
	(a) Asthibadit	
	(b) Vision Impaired	
	(c) Deaf	

10. Examination passed (Enclosed copy of certificate, degree &marks sheet of exam/transcript)

S.N	Examination	Name of Degree	Name of University	Subject Major	Division obtained	Year of passing	% of marks	Enclosure Number	
								Certificate	Transcript
1	High School								
2	HSC/Intermediate Pre University								
3	Bachelor's Degree								
4	Master's Degree								
5	Doctoral Degree								
6	Any other examination								

11. Whether qualified National Eligibility Test (NET) conducted by ICAR (Enclose copy of certificate for proof)
12. Academic excellence (Enclose copy of certificate for proof)
- (i) Medal at UG/PG/Ph.D.
- (a) University Gold Medal at UG/PG/Ph.D.
- (b) University Silver Medal at UG/PG/Ph.D.
- (c) University Bronze Medal at UG/PG/Ph.D.
- (ii) JRF/SRF of ICAR/CSIR/GATE etc. obtained through any examina tion/competition will only be considered
13. Publication: Research/Extension (attach complete list in bibliographi call form and reprints for proof)

S. No	Publications	As first Author (No.)	As Co-author (No.)
1	Full length Research paper /Review article		
2	Short notes		
3	Published abstracts in seminar		
4	Popular/Extension article		
5	Varieties/Technology/Paper developed/Disseminated		

14. Experience as Teacher/Scientist/Subject Matter Specialist/Guest Faculty/Contractual Teacher/ Part Time Teacher/RA/RF/JRF/TA/Farm Manager in any recognized university or Constitute/Affiliated colleges of MGUVV/IGKV/ICAR/R&D organization of International/National level/State/ Central government services Central state Govt. etc. (In reverse chronological order, start from the latest position held (Enclose a copy of application order/

S. No	Name of the post held	Organization	Period (from...to..)	Experience in years and month
1				
2				
3				
Total				---Y----M

experience certificated for proof)

15. Performance in extra-curricular activities NCC/NSS/University band/Games and Sports/Cultural (Inter University level). Enclose copy of certificate for proof.

- (i)-----
- (ii)-----
- (iii)-----
16. Additional Remarks, if any-----

DECLARATION

I declare that the entries in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place:-----

Date:-----

Signature of the Candidates

Remarks of the present employer
(In case of those who are already in service)

The applicant Shri/Ku.Smt/Dr-----is holding a permanent/temporary post of-----in the scale of pay Rs.----- and his/her present basic pay is Rs.-----per month

His/her application is forwarded and He/she will be relieved in case if He/ She is selected for the post of applied for.

Place:-----

Date:-----

Signature

Designation of officer (with official seal)

लिफाफा के ऊपर निम्नानुसार प्रारूप में आवेदन पत्र प्रेषित किया जावेँ

Name of Post-Guest Teacher	
Name of Subject:-----	
	To, DEAN, College of Horticulture and Research Station, Sankara, Patan-Durg (C.G.) Pin-491111
From,	----- -----

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

सत्र 2026-27 से नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने तथा पूर्व संचालित संस्थाओं द्वारा नवीन विषय / संकाय / पाठ्यक्रम / सीट वृद्धि प्रारंभ करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025

छ.ग. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत समितियाँ यदि वर्ष 2026-27 से उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए नई संस्था (नवीन अशासकीय महाविद्यालय) प्रारंभ करना चाहते हैं या उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पूर्व संचालित संस्थाएँ नया विषय संकाय, नया पाठ्यक्रम, सर्टिफिकेट डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री प्रारंभ करने या उच्चतर कक्षाएं प्रारंभ करने के इच्छुक हैं, ऐसी संस्थाएं दिनांक 01.07.2025 से 31.07.2025 के मध्य निर्मित बैंक चालान राशि 5000/- रु. (चालान जमा करने लिए मुख्य शीर्ष 0202-शिक्षा खेल कला और संस्कृति, 01-सामान्य शिक्षा, 203-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा, ट्यूशन और अन्य शुल्क, 800-अन्य प्राप्तियां) की मूल प्रति सहित अथवा दिनांक 01.07.2025 से 31.07.2025 के मध्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त, उच्च शिक्षा के नाम पर निर्मित बैंक ड्राफ्ट राशि 5000/-रु. जो रायपुर में देय हो, के साथ अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में दिनांक 31.07.2025 के सायं 05:30 बजे तक जमा कर सकते हैं।

नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने तथा नवीन कक्षा/संकाय/अतिरिक्त विषय / सीट वृद्धि हेतु निर्धारित आवेदन प्रारूप विभाग के वेबसाइट www.highereducation.cg.gov.in के Notice Board अंतर्गत Advertisement में जाकर प्राप्त की जा सकती है। अपूर्ण आवेदन एवं अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
अटल नगर, नवा रायपुर

कार्यालय प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित सुकमा

जिला- सुकमा (छत्तीसगढ़) पिन कोड 494111

Website:- www.cgmfpfed.org. E-mail:- mdsukma81@gmail.com

क्रमांक/जि.यू./2025/ 2431

सुकमा दिनांक 30/06/2025

जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, सुकमा के अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रबंधक के रिक्त पद की भर्ती हेतु निर्धारित सेवा शर्तें, अर्हतायें एवं योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से दिनांक 12.07.2025 से 30.07.2025 समय शाम 05.00 बजे तक कार्यालय प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, सुकमा (छ.ग.) के नाम से पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्रमांक	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति का नाम	पदनाम	कुल रिक्त पद	वर्ग	समिति कार्यक्षेत्र में आने वाले तैदूपत्ता संग्रहण केन्द्र/ग्राम का नाम जहां के निवासी आवेदन पत्र कर सकते हैं।	कार्यालय जहां आवेदन पत्र प्रेषित किया जाना है।
1	2	3	4	5	6	7
1	मुरतोण्डा	प्रबंधक	1 (एक)	अनारक्षित	कांजीपानी (अ), हिकमीरास, बिसठपाल-अ, मुरतोण्डा, कांजीपानी-ब, कडरीकोसम, बिरसठपाल-व, कांजीपानी-स, मुरैपाल, पाईकरामपुरम, रेड्डीपाल, द्वारीपारा, पेरमापारा, रतिनाईकरास, चिपुरपाल, नयापारा, अन्दुमपाल, पोंदुम, बेदरापानी, डुवाकीरास, टोटेर, अरकतोंग, मेसीरास, सुरबीरास एवं कलारपारा।	प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, सुकमा (छ.ग.)

- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.07.2025 शाम 05:00 बजे तक।
- पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन दिनांक 10.08.2025 किया जावेगा। (जिसे वनमण्डल/जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, सुकमा के कार्यालय के सूचना पटल पर एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर के वेबसाइट www.cgmfpfed.org एवं कलेक्टर जिला सुकमा के वेबसाइट <https://sukma.gov.in> पर देखा जा सकता है)।
- पात्र/अपात्र अभ्यर्थी के संबंध में दावा आपत्ति हेतु आवेदन दिनांक 15.08.2025 से 20.08.2025 दोपहर 03:00 बजे तक जिला यूनियन कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- प्रबंधक भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर के वेबसाइट www.cgmfpfed.org एवं कलेक्टर जिला सुकमा के वेबसाइट <https://sukma.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति में प्रबंधक पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता एवं चयन प्रक्रिया निम्नानुसार

(अ) नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताएं :-

- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेन्डरी (10+2) उत्तीर्ण होगी।
 - अभ्यर्थी का, संस्था (समिति) क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। (यदि आवेदक समिति क्षेत्र के बाहर का निवासी है एवं तैदूपत्ता उक्त समिति क्षेत्र में संग्रहण किया जाता है तो अपात्र होगा)
 - यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संस्था (समिति) क्षेत्र के ऐसे संग्राहक परिवार से हो, जिसने नियुक्ति के पूर्व पांच वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 गड्डी तैदूपत्ता संग्रहण कार्य किया हो। आवेदन के साथ तैदूपत्ता संग्रहण कार्ड की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री होना अनिवार्य है, मान्यता प्राप्त संस्था निम्नानुसार रहेंगे :-
- (अ) शासन से मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।
- (ब) शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/ माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (02 वर्ष से अन्यून)
- (स) वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिम्ड/युनिवर्सिटी / इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा पदत कम्प्यूटर साईस इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि।
- (द) DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

- (ई) कम्प्यूटर विषय में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा (Diploma in Computer Application) DCA I
- निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं आवेदन करने की अंतिम तिथि या उसके पूर्व का होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के बाद जारी कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
 - शासकीय अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को नियोक्ता से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच के समय नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - आवेदन पत्र में आवेदक का फोटो एवं सूचीबद्ध किये गये समस्त प्रमाण पत्र व दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है। समस्त सूचीबद्ध प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न न होने अथवा उक्त दस्तावेजों के स्वप्रमाणित न होने के स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
 - अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।
 - भर्ती प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित पदेन सहायक पंजीयक सुकमा का निर्णय अंतिम होगा।
- (ब) आयु सीमा :-
- चयन में स्पर्धा करने हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित आयु पुरी करनी होगी अर्थात् :-

- 1 जनवरी 2025 को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम अथवा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- छत्तीसगढ़ राज्य के भूतपूर्व सैनिक, अजजा/अजा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त एवं स्वयंसेवी नगर सैनिकों को छ.ग. शासन के नियमानुसार आयु में शिथिलता प्रदान की जावेगी।
- उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन आयु में छूट दिये जाने के उपरान्त भी संघ के सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(स) अन्य अर्हतायें :-

- अभ्यर्थी मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।
- अन्य किसी भी सेवा नियोजन का गबनशुदा न हो, आर्थिक अथवा अन्य किसी अपराध के लिये कार्यवाही जारी/पंजीकृत न हो, किसी न्यायालय से सजायाफ्ता न हो।
- छ.ग. सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित/प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के संचालक मण्डल का परिभाषित संबंधी न हो।

(द) चयन प्रक्रिया :-

- प्रबंधक पद पर चयन हेतु कुल 125 अंक निर्धारित किये जाते हैं, जो अभ्यर्थी की योग्यता के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगे :-
- (क) 10+2 हायर सेकेण्डरी परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत के बराबर अंक प्रदान किये जायेंगे (अधिकतम 100 अंक)। (उदाहरणार्थ यदि किसी आवेदक को हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 75.5 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 75.5 अंक दिये जायेंगे)
- (ख) स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों के अनुपात में 1/5 अंक दिये जायेंगे (अधिकतम 20 अंक) (उदाहरणार्थ 70 प्रतिशत प्राप्तांक को 14 अंक दिये जायेंगे)
- (ग) छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्राप्त सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री हेतु अधिकतम 5 अंक दिए जायेंगे। सर्टिफिकेट/डिप्लोमा हेतु 3 अंक एवं उच्चतर डिग्री (यथा-पी. जी. डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि) हेतु 5 अंक दिये जायेंगे।
- (घ) उपयुक्त कंडिका (क) (ख) (ग) के अनुसार जिला यूनियन द्वारा उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची बनाई जायेगी। प्रावीण्य सूची में यदि एक से अधिक

क्रमशः

- उम्मीदवारों को बराबर अंक प्राप्त है, तो आयु में वरिष्ठता के आधार पर उम्मीदवार को वरिष्ठता प्रदान की जावेगी।
- (इ) नियुक्ति हेतु प्रक्रिया :-
- कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व प्रबंधक पद के लिए चयनित अभ्यर्थी का पुलिस से सत्यापन अनिवार्य होगा।
 - चयनित अभ्यर्थी को चिकित्सा जांच (शासकीय चिकित्सालय) के मापदंडों में स्वस्थ पाया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थी को प्रत्याभूति के रूप में रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार रुपये मात्र) नगद अथवा सावधि जमा अथवा साल्वेंसी के रूप में संस्था में जमा करना होगा।
 - चयनित अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर कार्यरत रहेगा। तत्पश्चात कार्य मूल्यांकन उपरांत उसे नियमित किया जावेगा।
- (फ) वेतन - प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्या. रायपुर द्वारा निर्धारित वेतन देय होगा।
- (ग) यात्रा भत्ता- प्रबंधकों को संघ द्वारा स्वीकृत दरो पर यात्रा भत्ता देय होगा।

प्रबंध संचालक
जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित
सुकमा

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्रबंध संचालक
जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, सुकमा,

स्वप्रमाणित
फोटो

- आवेदित पदनाम :-----
- समिति का नाम :-----
- आवेदक का नाम :-----
 - पिता/पति का नाम :-----
 - जन्म तिथि :-----
(अंको में) :-----
(शब्दों में) :-----
 - दिनांक 01/01/2025 की स्थिति में आयु वर्ष-----माह-----दिन-----
 - जाति वर्ग (आ.ज.जा./अ.जा./अ.पि.व./अनारक्षित) -----
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र)
की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
 - स्थायी पता :-----

 - डाक व्यवहार का वर्तमान पता एवं टेलीफोन नम्बर :-----

 - क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है (हां नहीं) -----
(यदि हां, तो प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
 - लिंग (महिला/पुरुष) -----
 - वैवाहिक स्थिति (सही ✓ निशान लगावे) -----

पुरुष			महिला		
विवाहित	अविवाहित	विधुर	विवाहित	अविवाहित	विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा

- यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि -----
- जीवित बच्चों की संख्या -----

- रोजगार कार्यालय का नाम -----
जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक -----
- शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	कुल प्राप्तांक	श्रेणी	प्राप्तांको का प्रतिशत

- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
- यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक प्रकरण किसी-----
पुलिस थाना/न्यायालय में लंबित है अथवा
न्यायालय से निराकृत हो चुका है? यदि हां
तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण
क्रमांक तथा निर्णय आदि की जानकारी का स्पष्ट
रूप से उल्लेख करें।
 - तेन्दूपत्ता संग्रहण की वर्षवार जानकारी

वर्ष 2021		वर्ष 2022		वर्ष 2023		वर्ष 2024		वर्ष 2025	
संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या	संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या	संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या	संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या	संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या

- (संग्रहण कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)
- आवेदक के हस्ताक्षर

- घोषणा-पत्र
- मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैंने विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी शर्तों को पढ़ लिया है। इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है, कोई भी जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा एवं चयन के दौरान भी मेरी नियुक्ति बिना नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।

दिनांक-----
स्थान-----

- आवेदक के हस्ताक्षर
- (सहपत्रों का विवरण (संलग्न किए गए सहपत्र पर सही ✓ का निशान लगावें)

क्रमांक	विवरण	सही ✓
1	छत्तीसगढ़ के मूल निवासी का प्रमाण-पत्र	
2	आ.ज.जा./अ.जा./अ.पि.व. वर्ग के उम्मीदवारों का जाति प्रमाण-पत्र	
3	शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र	
3.1	हायर सेकेंडरी (10-2)	
3.2	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण	
3.3	मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर डिग्री	
4	छत्तीसगढ़ राज्य के भूतपूर्व सैनिक अ.ज.जा./अ.जा. तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त एवं स्वयं सेवी नगर सैनिकों को प्रमाण पत्र।	
5	तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्ड-	
	संग्रहण वर्ष 2021	
	संग्रहण वर्ष 2022	
	संग्रहण वर्ष 2023	
	संग्रहण वर्ष 2024	
	संग्रहण वर्ष 2025	

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम-----
मोबाइल नम्बर-----

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग

पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, राजभवन के पास, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष नम्बर / फ़ैक्स नम्बर-0771-2426356 ई. मेल-icpsraipur@gmail.com

क्रमांक/266/ मबावि/मि.वा/2025-26

रायपुर दिनांक 26/06/2025

रुचि की अभिव्यक्ति

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP (C) क्रमांक 427 of 2022 Bachpan Bachao Andolan Vs Union of India में पारित आदेश दिनांक 09.10.2023 एवं We the Women of India Vs Union of India & Ors. Writ Petition (s) (Civil) No (s) 1156/2021 तथा Writ Petition No.427 of 2022 Bachpan Bachao Andolan Vs Union of India में पारित आदेश दिनांक 30.07. 2024 के अनुक्रम में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं नियम 2020 के प्रावधानों तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाइन के क्रियान्वयन हेतु जिला रायपुर में सपोर्ट पर्सन का इम्पैनलमेंट किया जाना है। इस हेतु इच्छुक, अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति / संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

सपोर्ट पर्सन हेतु निर्धारित योग्यताएं निम्नानुसार होगी:-

- व्यक्तिगत आवेदन की स्थिति में आवेदक के पास समाज कार्य (Social Work) या समाजशास्त्र (Sociology) या मनोविज्ञान (Psychology) या बाल विकास (Child Development) विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या बाल शिक्षा और विकास या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक डिग्री हो।
- स्वयंसेवी संस्था द्वारा आवेदन करने की स्थिति में संबंधित संस्था बाल अधिकार या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष से कार्यरत हो।

जिलों में सपोर्ट पर्सन के रूप में इम्पैनलड होने के इच्छुक व्यक्तियों/अशासकीय संस्था / संगठन निर्धारित प्रारूप में अपनी रुचि की अभिव्यक्ति को दिनांक 27.07.2025 तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुराना पुलिस मुख्यालय के बाजू रायपुर में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कुरियर के माध्यम से जमा कर सकते हैं। रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रारूप, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी, पत्राचार का पता एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण रायपुर की वेबसाईड WWW.raipur.gov.in में देखी जा सकती है।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं नियम 2020 के प्रावधानों एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अधीन सपोर्ट पर्सन के इम्पैनलमेंट हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं नियम 2020 के प्रावधानों एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाइन के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों में सपोर्ट पर्सन का इम्पैनलमेंट किये जाने हेतु इच्छुक, अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति संस्थाओं से दिनांक-----तक निर्धारित प्रपत्र में रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त इम्पैनलमेंट के लिये रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, राजभवन के पास, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.) को प्रेषित करना होगा।

पदों आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है-

- सपोर्ट पर्सन हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अनिवार्य अनुभव**
 - व्यक्तिगत आवेदन की स्थिति में आवेदक के पास समाज कार्य (Social Work) या समाज शास्त्र (Sociology) या मनोविज्ञान (Psychology) या बाल विकास (Child Development) विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या बाल शिक्षा और विकास या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक डिग्री हो।
 - स्वयंसेवी संस्था द्वारा आवेदन करने की स्थिति में संबंधित संस्था बाल अधिकार या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष से कार्यरत हो।
- व्यक्तिगत आवेदकों हेतु आवेदन प्रक्रिया एवं संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण**
 - शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।
 - निवास अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ एवं उस जिले का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, जहां के लिए आवेदन किया जा रहा है। जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया

निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

2.3 अनुभव के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है:-

- 2.3.1 अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।**
- 2.3.2 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।**
- 3. स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आवेदन करने पर आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज निम्नानुसार होंगे-**
 - संस्था / संगठन चलाने के लिए आवश्यक सुसंगत अधिनियम (सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम) के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र, उपनियम, संस्था का ज्ञापन।
 - संस्था / संगठन चलाने के लिए अवधि की वैधता तिथि की जानकारी एवं शासी निकाय का संकल्प पत्र।
 - नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
 - यदि संगठन अखिल भारतीय स्तर का है तो अन्य राज्यों में शाखाओं की जानकारी।
 - संस्था / संगठन की प्रबंधन समिति शासी निकाय के सदस्यों की अद्यतन सूची एवं अद्यतन जानकारी यथा-पता संपर्क क्रमांक, ई-मेल आईडी, शैक्षणिक योग्यता आदि।
 - वार्षिक बैठक के संकल्प की प्रति।
 - संगठन विदेश सहयोग (नियमन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 - अनुदान सहायता की निधि के स्रोतों की सूची।
 - संस्था/संगठन के वर्तमान बैंक खाता, ब्रांच कोड एवं खाते का विवरण।
 - पिछले 03 वर्षों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, आय और व्यय लेखा, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, संगठन का तुलन-पत्रक की प्रति।
 - बाल अधिकार / बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव एवं बालकों के पुनर्वास के लिए किए गये कार्यों की जानकारी।
 - संस्था / संगठन के पदाधिकारियों एवं स्टॉफ का अद्यतन पुलिस सत्यापन की जानकारी।
- 4. व्यक्तिगत आवेदक के इम्पैनलमेंट हेतु चयन प्रक्रिया**
 - जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर अर्हता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
 - लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईड लाइन की कडिका-3.2.3 iii में उल्लेखित चयन समिति द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर सपोर्ट पर्सन हेतु नामों के पैनल की अनुशंसा की जावेगी।
 - उपरोक्त चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का इम्पैनलमेंट किया जावेगा।
 - सपोर्ट पर्सन के रूप में इम्पैनलमेंट की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी। प्रति वर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। 03 वर्ष से अधिक इम्पैनलमेंट अवधि के विस्तार हेतु जिला बाल संरक्षण अधिकारी के कार्य मूल्यांकन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन उपरांत अवधि में विस्तार किया जा सकेगा।
 - लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईड लाइन की कडिका-32.3.vii में सपोर्ट पर्सन की सेवाओं हेतु पारिश्रमिक (मासिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता) संबंधी प्रावधान है। तदनुसार मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 (1948 का 11) अनुसार कुशल श्रमिक के लिए निर्धारित राशि अनुसार कार्य के समानुपातिक आधार पर मानदेय एवं वास्तविक आधार पर यात्रा व्यय देय होगा।
 - जिले में इम्पैनल किए जाने वाले सपोर्ट पर्सन की संख्या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाइन की कडिका-3.2.3. viii में किए गये प्रावधान अनुसार होगी।
 - सपोर्ट पर्सन के इम्पैनलमेंट में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार

क्रमशः



- संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाइन की कंडिका-3.2.3.IX अनुसार जेन्डर संबंधी बिन्दु का ध्यान रखा जावेगा।
- 4.8 सपोर्ट पर्सन के इम्पैनलमेंट में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-30 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईड लाईन की कंडिका-32.3.x अनुसार इम्पैनलमेंट हेतु चयनित व्यक्ति का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। पुलिस सत्यापन के उपरांत ही इम्पैनलमेंट किया जावेगा।
- 4.9 सपोर्ट पर्सन का कार्यदायित्व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाइन की कंडिका-3.3 अनुसार होगा।
- 4.10 इम्पैनलमेंट के पश्चात भी यदि किसी आवेदक द्वारा निर्धारित अर्हताओं का पूरा करना नहीं पाया जाता है तो संबंधित आवेदक का इम्पैनलमेंट निरस्त किया जाएगा।
- 4.11 किसी व्यक्ति के सपोर्ट पर्सन के रूप में कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाइन की कंडिका-3.6 के प्रावधान अनुसार संबंधित व्यक्ति के सपोर्ट पर्सन के रूप में इम्पैनलमेंट समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी।
- 4.12 सपोर्ट पर्सन के रूप में इम्पैनलड व्यक्ति द्वारा किसी शासकीय पद/नौकरी हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकेगा।
5. अशासकीय संस्था संगठन के इम्पैनलमेंट हेतु चयन प्रक्रिया:-
- 5.1 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाइन की कंडिका-323 (iii) में उल्लेखित चयन समिति के समक्ष आवेदन करने वाली संस्था का प्रस्तुतीकरण कराया जा सकता है।
- 5.2 संस्थाओं की स्क्रीनिंग के लिए निम्नानुसार मापदंड रखे जा सकते हैं-
- 5.2.1 कार्य अनुभव 05 वर्ष तक के अनुभव के लिए 02 अंक, 05 वर्ष के उपरांत प्रति वर्ग के लिए 02 अंक के मान से अधिकतम 20 अंक देय होंगे।
- 5.2.2 स्टाफ स्ट्रेंथ वर्तमान उपलब्ध अमले की संख्या एवं सपोर्ट पर्सन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले अमले की संख्या के आधार पर अधिकतम 10 अंक।
- 5.2.3 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021, पाक्सो अधिनियम 2012 के क्रियान्वयन के संबंध में कार्य अनुभव हेतु अधिकतम 10 अंक।
- 5.2.4 प्रस्तुतीकरण के दौरान मूल्यांकन कर अवधारणात्मक स्पष्टता के संबंध में अधिकतम 10 अंक।
- ब्लैक लिस्टेड व विधि विवादित संस्थाओं को इम्पैनल न किया जावे।
 - अशासकीय संस्था/संगठन द्वारा सपोर्ट पर्सन के रूप में जिस व्यक्ति की सेवाएं उपलब्ध करायी जावे उसमें यह सुनिश्चित किया जावे कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाइन में उल्लेखित समस्त अर्हताएं पूर्ण करता हो। ब्लैक लिस्टेड व विधि विवादित संस्थाओं को इम्पैनल न किया जावे।
6. अशासकीय संस्था/संगठन के इम्पैनलमेंट की स्थिति में सस्था हेतु कोई शुल्क / राशि देय नहीं होगी। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाइन की कंडिका-3.2.3 vii में सपोर्ट पर्सन की सेवाओं हेतु पारिश्रमिक (मासिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता) संबंधी प्रावधान है। संस्था द्वारा सपोर्ट पर्सन के रूप में जिस व्यक्ति की सेवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी, उन्हें उक्त पारिश्रमिक वित्त विभाग की स्वीकृति के अनुसार देय होगा।
7. आवेदन के संबंध में निर्देश:-
- 7.1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाये। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे एवं इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
- 7.2 लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- 7.3 आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे।
- 74 आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।
- 7.5 निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

- 7.6 आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख सत्यापन में जाली गलत पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
8. चयन संबंधी विवाद की दशा में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।
9. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाइट <https://raipur.gov.in/> पर देखी जा सकती है।
10. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता ई-मेल आईडी व मोबाईल नं. का उल्लेख किया जाये ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जा सके।
- टीप:- 1. दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
2. व्यक्तिगत साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-रायपुर (छ०ग०)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पारापोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें।

- आवेदित पद का नाम एवं संस्था का नाम :-----
- आवेदक का नाम (हिन्दी में) :-----
(अंग्रेजी में) :-----
- पिता/पति का नाम :-----
- स्थायी पता :-----
- (पत्र व्यवहार का पता) :-----
- जन्मतिथि (अंकों में) :-----
(शब्दों में) :-----
- दिनांक 01/01/2015 को आयु :-----
- लिंग पुरुष/महिला :-----
- जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति-----वर्ग-----
- क्या आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय :-----
संस्था में सेवारत है ? :-
- विवाहित / अविवाहित / विधुर / परित्यक्ता :-----
- यदि आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या :-
- शैक्षणिक योग्यता (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / संस्था का नाम	प्राप्तांक /पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता का विवरण -----
15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-

संस्था का नाम	पद नाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

क्रमशः



16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची -

1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
2. जन्म तिथि हेतु 10 वीं अंकसूची / प्रमाण पत्र
3. 12 वीं की अंकसूची
4. स्तानक की अंकसूची
5. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
7. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

- 1-----
- 2-----
- 3-----

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम-----

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान-----

दिनांक-----

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अधीन सपोर्ट पर्सन के इम्पैनलमेंट हेतु स्वयं सेवी संस्थान संगठन हेतु अभिरूचि का प्रस्ताव के लिए आवेदन पत्र

प्रारूप

1. स्वयं सेवी संस्था/संगठन हेतु प्रस्ताव करने वाले आवेदक / संस्थान का विवरण

- 1.1 संस्था का प्रकार-----
- 1.2 संस्था/संगठन का नाम-----
- 1.3. सुसंगत अधिनियम के अधीन संस्थान / संगठन के पंजीकरण की तिथि और संख्या (सलग्न करें- पंजीकरण से तथा संबंधित दस्तावेज और उप-नियम संस्था का ज्ञापन)-----
- 1.4 संस्था / संगठन चलाने के लिए अवधि की वैधता तिथि-----
- 1.5 आवेदक/संस्थान / संगठन का पूरा पता-----
- 1.6 एसटीडी कोड / दूरभाष संख्या-----
- 1.7 एसटीडी कोड / फैक्स संख्या-----
- 1.8 ई-मेल पता-----
- 1.9 क्या यह संगठन अखिल भारतीय स्तर का है यदि हां तो अन्य राज्यों में इसकी शाखाओं दें-----
- 1.10 क्या इससे पूर्व संस्था / संगठन का पंजीकरण करने से मना किया गया है? जी हाँ/ नहीं-----
- 1.11 यदि मना किया गया हो तो निम्नलिखित विवरण देवे -
(क) मनाही की तारीख
(ख) किस विभाग द्वारा पंजीकरण करने के लिए मना किया गया है

2. स्टाफ व्यवस्था

- 2.1 स्टाफ सूची का ब्यौरा
- 2.2 स्टाफ की शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव
- 2.3 संगठन के साझेदार
- 2.4 संगठन के प्रभारी का नाम

3. आवेदक की पृष्ठभूमि (संस्था/संगठन)

- 3.1 पिछले 02 वर्षों में संगठन की मुख्य गतिविधियां / क्रियाकलाप
(क) (वार्षिक रिपोर्ट की प्रगति संलग्न करें)
- 3.2. प्रबंध समिति / शासकीय निकाय के सदस्यों की अध्यतन सूची संलग्न करें
(वार्षिक बैठक के संकल्प की प्रति लगाए)
- 3.3. परिसंपत्तियों की सूची / संगठन की अवसंरचना
- 3.4. क्या संगठन विदेश सहयोग (नियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें) पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहयोग का विवरण (प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें)

- 3.5. पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहयोग का ब्यौरा (संबंधित दस्तावेज संलग्न)
- 3.6. अनुदान सहायता की निधि के अन्य स्रोतों की सूची (यदि कोई हो) स्कीम / परियोजना /उद्देश्य राशि आदि के साथ पृथक रूप से।
- 37 अभिकरण के वर्तमान बैंक खाता का विवरण, ब्रांच कोड, खाता संख्या सहित
- 3.8 पिछले तीन वर्षों के खातों की प्रतिलिपि सलग्न करें रू :-
3.8.1 लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
3.8.2 आय और व्यय लेखा
3.8.3 प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
3.8.4 संगठन का तुलन-पत्रक
- 3.9 दर्पण पोर्टल आईडी कमांक

मैं घोषणा करता हूं कि संगठन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को इससे पूर्व दण्डित नहीं किया गया है या वह एक किसी अनैतिक कार्य या किसी ऐसे बालक बाल दुर्व्यवहार या बाल श्रम नियोक्ता कार्य में संलग्न रहा है और संगठन को किसी भी समय केन्द्र या राज्य सरकार की सूची से बाहर नहीं किया गया है।

मैं इस संबंध में शपथ लेता हूं कि मैं केन्द्र / राज्य सरकार के अधिनियम, नियमों दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करूंगा।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :-----

पदनाम :-----

पता :-----

जिला:-----

तिथि :-----

कार्यालय मुहर :-----

हस्ताक्षर :-----

साक्षी नंबर 1 :-----

साक्षी नंबर 2 :-----

MAHATMA GANDHI UNIVERSITY OF
HORTICULTURE AND FORESTRY
MAHANT BISAHU DAS COLLEGE OF HORTICULTURE AND
RESEARCH STATION

I.T.I. New Building, First Floor, GAURELA-PENDRA MARWAHI 495117
Email chrs.gpm@mguvv.ac.in

ADVERTISEMENT FOR WALK-IN-INTERVIEW

Applications are invited from eligible candidates to appear in a walk-in-interview for Guest Teacher in the following disciplines (purly on contractual basis). The candidates shall submit their dully filled application form to prescribed format (all copies of certificates, relevant document of experience and research papers, etc. in single PDF file) through E-mail at chrs.gpm@mguvv.ac.in For detailed information visit the website www.mguvv.ac.in
Last Date for submission of Application form 06/07/2025.
Venue of Interview - MBD CHRS, I.T.I. New Building, First Floor, Gaurella, Dist. GPM.

S.No	Discipline	No. of posts	Date of Interview	Time
1	Vegetable Science	01	14/07/2025	10:00 AM Onwards
2	Plant Pathology	01	14/07/2025	2:00 PM onwards
3	Floriculture and Landscape Architecture	01	15/07/2025	10:00 AM Onwards
4	Soil Science and Agricultural Chemistry	01	15/07/2025	2:00 PM onwards
5	Agricultural Extension	01	16/07/2025	10:00 AM Onwards

Honorarium :-

1. Rs.1800/-Per Day (Max: Rs. 40000/-Per month) for Ph.D & NET qualified in relevant subject
2. Rs.1800/-Per Day (Max: Rs. 40000/-Per month) for Ph.D in relevant subject
3. Rs.1500/-Per Day (Max: Rs. 36000/-Per month) for M.SC. & NET qualified in relevant subject

Dean

M.B.D. College of Horticulture & Research Station
Gaurela-Pendra-Marwahi (C.G.)

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा एसडीआरएफ मुख्यालय सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / 713 / स्था-3/ भर्ती / 2025 रायपुर दिनांक 12/06/2025

छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल तृतीय श्रेणी अराजपत्रित कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम एवं पदोन्नति नियम, 2017 के तहत अग्निशमन विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छ०ग० के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की वेबसाईट <https://cghgcd.gov.in> पर दिनांक 01.07.2025 से ऑन लाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। मेनुअल अथवा डाक से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। भर्ती प्रक्रिया रायपुर छत्तीसगढ़ में सम्पन्न की जावेगी।

01-प्राधिकार (1) छ०ग० शासन, गृह विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 13-02/दो-गृह/न.से./2022 दिनांक 26.03.2024

02- रिक्त पदों का विवरण

क्र	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से नगर सैनिकों के लिए आरक्षित पद				योग	वेतन मैट्रिक्स लेबल
		अना	अजा	अजजा	अ.पि.व	अना	अजा	अजजा	अ.पि.व	अना	अजा	अजजा	अ.पि.व	अना	अजा	अजजा	अ.पि.व		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	स्टेशन ऑफिसर (उप निरीक्षक)	9	2	7	3	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	21	7
2	वाहन चालक	6	2	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	14	4
3	वाहन चालक कम ऑपरेटर	36	10	28	12	10	3	8	3	3	1	2	1	9	2	7	3	86	4
4	फायर मेन	49	14	38	16	14	4	11	4	4	1	3	1	12	3	9	4	117	4
5	स्टोर कीपर	13	4	10	5	3	1	3	1	1	-	1	-	3	1	2	1	32	4
6	मैकेनिक	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	4
7	वाचरूम ऑपरेटर	8	2	6	3	2	-	1	-	यह पद तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्रशिक्षित नगर सैनिकों से भरा जावेगा।								19	4
8	वायरलैस ऑपरेटर (संविदा)	2	-	1	1	-	-	-	-	यह पद तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्रशिक्षित नगर सैनिकों से भरा जावेगा।								04	एकमुश्त मासिक संविदा वेतन
योग																		295	

टीप:- अभ्यर्थी उपरोक्त में से किसी एक पद के लिये आवेदन कर सकेंगे एक से अधिक पदों के लिये आवेदन मान्य नहीं होगा।

- 03- ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि-01.07.2025
- 04- ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-31.07.2025
- 05- त्रुटि सुधार हेतु-10.08.2025
- 06- परीक्षा शुल्क- अनारक्षित वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग रू० 300-00
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग रू० 200-00

07- महत्वपूर्ण निर्देश-

- (1) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
- (2) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु आवेदन करने की तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। शासकीय सेवकों के पुत्र / पुत्री के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी, जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण के समय अपने माता व पिता की सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नति संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षों से विलग है तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (3) न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिकों को ही आरक्षण का लाभप्रदाय

किया जायेगा। उन्हें जिला सेनानी से उक्ताशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

- (4) छत्तीसगढ़ के मूल / स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं वे पद ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) तथा जिन्होंने पूर्व में किसी शासकीय सेवा में नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ न लिया हो के लिए आरक्षित होंगे। ऐसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिये अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अभिवचन का नमूना निम्नानुसार है।

अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप

छ०ग० अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा परीक्षा के विज्ञापन क्रमांक के अंतर्गत आवेदन पत्र विभाग को प्रस्तुत किया है तथा मैं छत्तीसगढ़ निवासी भूतपूर्व सैनिक हूँ। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाये। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

मैंने पूर्व में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं किया है।

हस्ताक्षर-----
नाम-----

नोट:- ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु पूर्व में भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त कर लिया है, उन्हें पुनः भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

- टीप :- (i) भूतपूर्व सैनिक थल सेना/जल सेना / वायु सेना
- (ii) अर्ध सैनिक बल भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।
- (5) महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण खण्डवार सीधा आरक्षण है पात्र महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उस पद को उसी संवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से भरा जायेगा। यदि भूतपूर्व सैनिक एवं नगर सैनिक के आरक्षण संवर्ग में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उन पदों को उस संवर्ग के अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(6) परिवीक्षा- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी।
08- चयन/भर्ती हेतु पात्रता: सीधी भर्ती / चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्-

(i) शारीरिक अर्हता :-

- (क) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई 168 से.मी. या अधिक।
महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई 153 से.मी. या अधिक।
- (ख) अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की शारीरिक निःशक्तता नहीं होनी चाहिए।
- (ग) सीना-बिना फुलाये 81 से.मी. फुलाने पर 86 से.मी. अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये बिना फुलाये 76 से.मी. फुलाने पर 81 से.मी. सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में दोनों के बीच का अंतर न्यूनतम 5 से.मी. का होना चाहिए तथा इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जायेगी। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता / परीक्षा से मुक्त होगी।
- (घ) अभ्यर्थी के घुटनों को एक साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिये एवं पैर सपाट नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को दृष्टि से संबंधित कोई भी बीमारी/ विकार नहीं होना चाहिये। चश्मे के बिना एक आंख की दृष्टि 6/9 से कम नहीं होना चाहिये और दूसरी आंख की दृष्टि 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को सभी रंगों के लिये स्पष्ट दृश्यता होना चाहिये और वर्णांधता नहीं होनी चाहिये। अभ्यर्थी को किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को सुनने में समस्या नहीं होना चाहिये।

(ii) शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता
1	स्टेशन ऑफिसर (उप निरीक्षक)	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन में बी.एस.सी./बी.ई. की उपाधि या उसके समकक्ष
2	वाहन चालक	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण
3	वाहन चालक कम ऑपरेटर	(2) भारी मोटर वाहन चालन का लायसेंस होना चाहिए
4	फायर मेन	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण
5	स्टोर कीपर	अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण
6	मैकेनिक	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / मान्यता प्राप्त संस्था से डीजल मैकेनिक ट्रेड में डिप्लोमा।
7	वाचरूम ऑपरेटर	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) प्रशिक्षित नगर सैनिक
8	वायरलैस ऑपरेटर (संविदा)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) प्रशिक्षित वायरलैस ऑपरेटर सहित नगर सैनिक होना चाहिए

(iii) आयु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को 18 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक ना हो, परन्तु छ०ग० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18.01. 2024 द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट रहेगी।

उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

- (i) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-कीमी लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ii) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी :-
- (क) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।
- (ख) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी / स्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
- (ग) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात

किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वहा उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण शब्द छंटनी किये गये शासकीय सेवक से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अथवा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(घ) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिकतम न हो।

स्पष्टीकरण- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो,

अर्थात् :-(छ०ग० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 12.03.2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किये गये आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।)

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें -

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक,

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा अर्धसैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित है)

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक योग्य नहीं हैं।

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(ड) विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पाण्डे सम्मान, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम / मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अधधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप :-

- (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा / चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने पश्चात् या तो परीक्षा / चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

- (2) किसी भी अन्य मामले ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को

क्रमशः

परीक्षा / चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

- (3) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा / तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभप्राप्त करने के उपरांत अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (4) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3, नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
- (iv) छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3, रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी ।
- (v) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज / प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-
- (i) शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।
- (ii) विज्ञापन की कंडिका-08 (iii) की उप कंडिका-i एवं ii (क), (ख), (ग), (घ), (ज), (झ) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी / नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।
- (iii) विज्ञापन की कंडिका-08 (iii) की उप कंडिका-ii (ड) के अंतर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र तथा विधवा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र ।
- (iv) विज्ञापन की कंडिका-08 (iii) की उप कंडिका-ii (च) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए जिला मजिस्ट्रेट /सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट / राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।
- (v) विज्ञापन की कंडिका-08 (iii) की उप कंडिका-ii (छ) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र ।
- (vi) विज्ञापन की कंडिका-08 (iv) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव का प्रमाण-पत्र ।
- 09- चयन प्रक्रिया - प्रतियोगी परीक्षा की चयन प्रक्रिया निम्नानुसार आयोजित की जायेगी:-
- (i) आवेदन पत्रों की छानबीन आवेदन पत्रों की छानबीन करते हुए समस्त विहित मापदण्ड/ अर्हताओ को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम चरण (शारीरिक दक्षता परीक्षा) के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी।
- (ii) शारीरिक माप के लिये मापदण्ड अभ्यर्थी की शारीरिक योग्यता, सरल क्रमांक 08 के उप क्रमांक (i) में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम मापदण्ड / योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। टीप शारीरिक माप से संबंधित किसी विवाद के संबंध में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।
- (iii) शारीरिक दक्षता परीक्षा यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगी।
- (क) स्टेशन आफिसर उपनिरीक्षक की शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 300 अंको की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएँ सम्मिलित होंगी :-

क्र	मद (आयटम) पुरुष अभ्यर्थी	अंक्र.	मद (आयटम) पुरुष अभ्यर्थी	अंक
1	2	3	4	5
1-	लम्बी कूद (तीन प्रयास)	60	लम्बी कूद (तीन प्रयास)	60
	12 फिट (3.66 मीटर) तक	00	08 फिट (2.44 मीटर) तक	00
	14 फिट (4.27 मीटर)	12	10 फिट (3.05 मीटर)	12
	16 फिट (4.88 मीटर)	24	12 फिट (3.66 मीटर)	24
	17 फिट (5.18 मीटर)	36	13 फिट (3.96 मीटर)	36
	18 फिट (5.49 मीटर)	48	14 फिट (4.27 मीटर)	48
	19 फिट (5.79 मीटर) या अधिक	60	15 फिट (4.57 मीटर) या अधिक	60
2-	ऊँची कूद (तीन प्रयास)	60	ऊँची कूद (तीन प्रयास)	60
	04 फिट (1.22 मीटर) तक	00	03 फिट (0.91 मीटर) तक	00

	04 फिट 02 इंच (1.27 मीटर)	12	03 फिट 02 इंच (0.97 मीटर)	12
	04 फिट 04 इंच (1.32 मीटर)	24	03 फिट 04 इंच (1.02 मीटर)	24
	04 फिट 06 इंच (1.37 मीटर)	36	03 फिट 06 इंच (1.07 मीटर)	36
	04 फिट 06 इंच (1.42 मीटर)	48	03 फिट 08 इंच (1.12 मीटर)	48
	04 फिट 10 इंच (1.47 मीटर) या अधिक	60	03 फिट 10 इंच (1.17 मीटर) या अधिक	60
3-	गोला फेंक (तीन प्रयास) वजन 16 पाउण्ड	60	गोला फेंक (तीन प्रयास) वजन 08 पाउण्ड	60
	04 मीटर तक	00	04 मीटर तक	00
	05 मीटर	12	05 मीटर	12
	06 मीटर	24	06 मीटर	24
	07 मीटर	36	07 मीटर	36
	08 मीटर	48	08 मीटर	48
	09 मीटर या अधिक	60	09 मीटर या अधिक	60
4-	100 मीटर दौड़	60	100 मीटर दौड़	60
	12.5 सेकेण्ड या कम	60	14.5 सेकेण्ड या कम	60
	13.5 सेकेण्ड	48	15.5 सेकेण्ड	48
	14.5 सेकेण्ड	36	16.5 सेकेण्ड	36
	15.5 सेकेण्ड	24	17.5 सेकेण्ड	24
	16.5 सेकेण्ड	12	18.5 सेकेण्ड	12
	16.5 सेकेण्ड से अधिक	00	18.5 सेकेण्ड से अधिक	00
5-	दौड़ 1500 मीटर	60	दौड़ 1500 मीटर	60
	5 मिनट	60	6 मिनट	60
	5 मिनट 10 सेकेण्ड	48	6 मिनट 10 सेकेण्ड	48
	5 मिनट 20 सेकेण्ड	36	6 मिनट 20 सेकेण्ड	36
	5 मिनट 30 सेकेण्ड	24	6 मिनट 30 सेकेण्ड	24
	5 मिनट 40 सेकेण्ड	12	6 मिनट 40 सेकेण्ड	12
	5 मिनट 40 सेकेण्ड से अधिक	00	6 मिनट 40 सेकेण्ड से अधिक	00

- (ख) वाहन चालक, वाहन चालक कम आपरेटर, फायरमेन, स्टोरकीपर, मेकेनिक, वाचरूम आपरेटर एवं वायरलेस आपरेटर संविदा पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 100 अंकों में से, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक अर्जित करने होंगे, इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएँ सम्मिलित होंगी :-

दौड़-100 मीटर अधिकतम अंक-25

पुरुष-100 मीटर दौड़ 10 कि.ग्रा. वजन के साथ महिला 100 मीटर दौड़ 5 कि.ग्रा. वजन के साथ

पुरुष		महिला	
समय सेकेण्ड में	अंक	समय सेकेण्ड में	अंक
15 सेकेण्ड	25	15 सेकेण्ड	25
16 सेकेण्ड	20	16 सेकेण्ड	20
17 सेकेण्ड	15	17 सेकेण्ड	15
18 सेकेण्ड	10	18 सेकेण्ड	10
19 सेकेण्ड	05	19 सेकेण्ड	05
20 सेकेण्ड	00	20 सेकेण्ड	00

लंबी कूद-अधिकतम अंक-25

पुरुष		महिला	
लम्बाई	अंक	लम्बाई	अंक
03 मीटर से कम	00	02 मीटर से कम	00
03 मीटर 50 से.मी.	05	02 मीटर 50 से.मी.	05
03 मीटर 75 से.मी.	09	03 मीटर	09
04 मीटर	13	03 मीटर 25 से.मी.	13
04 मीटर 50 से.मी.	17	03 मीटर 75 से.मी.	17
05 मीटर	21	04 मीटर	21
05 मीटर 50 से.मी. से अधिक	25	04 मीटर 25 से.मी. से अधिक	25

गोला फेंक अधिकतम अंक-25

पुरुष-गोला फेंक
(वजन-08 पाउण्ड)

महिला-गोला फेंक
(वजन-16 पाउण्ड)

क्रमशः

पुरुष		महिला	
लम्बाई	अंक	लम्बाई	अंक
05 मीटर 50 से.मी. से कम	00	4 मीटर से कम	00
05 मीटर 50 से.मी.	05	4 मीटर	05
06 मीटर	09	04 मीटर 50 से.मी.	09
06 मीटर 50 से.मी.	13	05 मीटर	13
07 मीटर	17	06 मीटर	17
08 मीटर	21	07 मीटर	21
09 मीटर या अधिक	25	08 मीटर या अधिक	25

बीमबार अधिकतम अंक-25

पुरुष-बीमबार

महिला-बीमबार

पुरुष		महिला	
संख्या	अंक	संख्या	अंक
12 बार	25	06 बार	25
10 बार	22	05 बार	22
08 बार	15	04 बार	15
06 बार	10	03 बार	10
05 बार	05	02 बार	05
04 बार या कम	00	01 बार या कम	00

(iv) लिखित परीक्षा : लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी तथा परीक्षा की कुल अवधि दो घंटों की होगी। निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्नों को परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा :-

क	चरण	कुल अंक	विषय	अनिवार्य प्राप्तांक
1	लिखित परीक्षा	100	विषय विशिष्ट, सामान्य ज्ञान / तार्किक / विश्लेषणात्मक तर्क	सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 40 अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 30 अंक प्राप्त करना/अर्जित करना अनिवार्य होगा।

वाहन चालक/वाहन चालक ऑपरेटर ट्रेड के अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा देनी होगी, इसके लिये कुल 100 अंक होंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना/अर्जित करना होगा।

10- **बोनस अंक :-** प्रत्येक अभ्यर्थी को 05 बोनस अंक दिया जायेगा, यदि यह नीचे उल्लिखित विशेष योग्यता धारण करता हो। किन्तु अभ्यर्थी को अधिकतम 10 बोनस अंक दिये जायेगे, भले ही अभ्यर्थी दो से अधिक विशेष योग्यता धारण करता हो। ये विशेष योग्यतायें हैं :-

- (क) भारी मोटर वाहन चालन का लायसेंसधारी,
 (ख) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में प्रवीणता। (केवल वे अखिल भारतीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता जिनका सीधा आयोजन उस खेलकूद के अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत किया जाता है, वहां के केवल विजेता खिलाड़ियों को ही पात्रता होगी)।
 (ग) **एन.सी.सी.सी** प्रमाण पत्र धारी।

टीप:- भारी मोटर वाहन चालक का लायसेंसधारी होने पर बोनस अंक वाहन चालक, वाहन चालक कम आपरेटर के पदों को छोड़कर शेष पदों हेतु प्रदाय किये जायेंगे।

11- **चयन सूची:-** स्टेशन ऑफिसर (उपनिरीक्षक) पद हेतु, शारीरिक दक्षता परीक्षा अंक 300, लिखित परीक्षा अंक 100 एवं बोनस अंक 10 केवल पात्रतानुसार के आधार पर तथा शेष पदों यथा वाहन चालक, वाहन चालक कम आपरेटर, फायरमेन, स्टोरकीपर, मैकेनिक, वाचरूम आपरेटर एवं वायरलैस आपरेटर (संविदा) हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा अंक 100, लिखित परीक्षा अंक 100 एवं बोनस अंक 10 (केवल पात्रतानुसार) के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी। बोनस के 10 अंक की गणना पृथक से की जायेगी। लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं बोनस अंकों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट कम के आधार पर सूची तैयार की जायेगी। सर्वप्रथम, सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे अभ्यर्थी भी सम्मिलित होंगे, जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं जो अनारक्षित पदों के लिए सभी मापदण्ड पूरा करते हैं। शेष अभ्यर्थियों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के आधार पर, उनके अपने-अपने जाति/श्रेणी प्रवर्गों के लिए विज्ञापित आरक्षित पदों के अनुसार पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी।

12- **चयन सूची का अनुमोदन** लिखित परीक्षा एक बार आयोजित होगी और चयन सूची अग्निशमन एवं आपातकालीन तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय द्वारा विहित अनुसूची के अनुसार तैयार की जायेगी, चयन समिति समस्त आवश्यक अभिलेख महानिदेशक को अनुमोदन हेतु भेजेगी। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय द्वारा विहित कार्यक्रम के अनुसार सूची का परीक्षण, विचारण तथा जांच करने के पश्चात् अनुमोदन आदेश जारी किये जायेंगे।

13- **परीक्षा फीस (शुल्क) :-**

(क) अभ्यर्थी को समिति द्वारा विहित फीस (शुल्क) का भुगतान करना होगा।

(ख) **चिकित्सा (स्वास्थ्य) परीक्षा फीस:** उन अभ्यर्थियों को जिन्हें किसी चिकित्सीय परीक्षा हेतु चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो स्वास्थ्य परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को ऐसी अपेक्षित चिकित्सा परीक्षा / टेस्ट फीस का भुगतान करना होगा जो शासन द्वारा समय-समय पर विहित की जाए।

14- **निरर्हता**

(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में / चयन हेतु उपस्थित होने हेतु निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी।

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये।

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अधोपतन से संबंधित किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

15- **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा**

(1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :-

01- छ०ग० राज्य का मूल निवासी प्रमाण-पत्र।

02- शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र

03- उच्चतर आयु में छूट प्राप्त करने के लिए वांछित प्रमाण पत्र।

04- आरक्षण का लाभ करने के लिए जाति प्रमाण पत्र।

05- आय प्रमाण पत्र (गैर क्रीमीलेयर अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)

06- भूतपूर्व सैनिकों/नगर सैनिकों के मामले में वांछित प्रमाण पत्र।

07- बोनस अंक हेतु-01 हेवी व्हीकल ड्राईविंग लायसेंस 02 नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट 03 एनसीसी-सी सर्टिफिकेट।

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये की जाने वाली चयन प्रक्रियाएँ माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्वधीन होंगी।

महानिदेशक

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं
 तथा एसडीआरएफ छत्तीसगढ़



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

विकास और प्रगति पथ पर
विकास और प्रगति पथ पर
छत्तीसगढ़

देश में धान की सर्वाधिक
किस्मों वाला राज्य

प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता
में देश का सबसे संपन्न राज्य

जैव विविधता के साथ हरियाली
में अग्रणीय राज्य

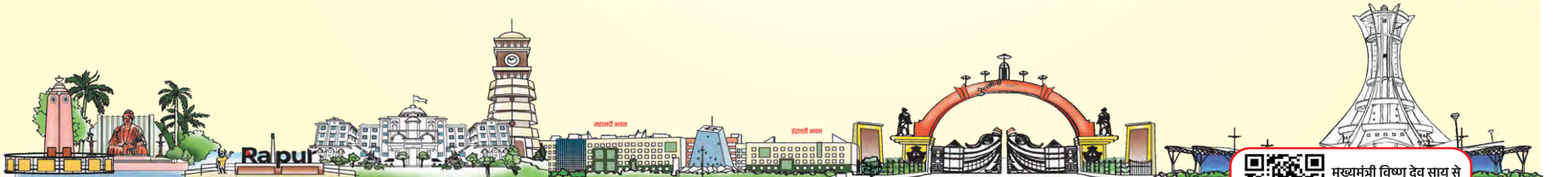
कोयला उत्पादन में देश का
दूसरा सबसे बड़ा राज्य

देश के कुल सीमेंट उत्पादन में
20% का योगदान देने वाला राज्य

लौह अयस्क उत्पादन में देश
का दूसरा सबसे बड़ा राज्य

देश में तीन धातु का नंबर वन
उत्पादक राज्य

सरप्लस बिजली उत्पादन
के साथ देश का पावरहाउस



हमने बनाया है, हम ही सँवारेंगे



मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से
जुड़ने के लिए Q.R. Code
स्कैन करें



छत्तीसगढ़

गढ़ रहा उद्योगों की स्थापना के
नए अवसर



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

“
अब उद्यमी बनने की
राह हुई आसान



सिंगल
विंडो सिस्टम
2.0 से



उद्योगों की स्थापना में सहयोग,
युवाओं को रोजगार के मौके



पोर्टल के माध्यम से 16 से अधिक
विभागों की 100 से अधिक सुविधा



पोर्टल पर एक बार आवेदन से ही
सभी विभागों का क्लीयरेंस



ऑफलाइन मोड में किसी भी
कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं



सिंगल क्लिक पर देखी जा सकती
है आवेदन की स्थिति



ई-चालान के माध्यम से
पेमेंट की सुविधा



उद्योग स्थापना के लिए किन विभागों से
लेना होगा क्लीयरेंस, पोर्टल पर उपलब्ध
है यह जानकारी



हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : [f](#) [X](#) [@](#) [ChhattisgarhCMO](#) [f](#) [X](#) [DPRChhattisgarh](#) [www.dprcg.gov.in](#)

छत्तीसगढ़
जनसंपर्क

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लॉट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित,
छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक-जवाहर लाल दरियो